भाषा और अभिव्यक्ति

छात्र अध्ययन यात्रा

(10-12 फरवरी, 2014)

केंद्रीय हिंदी निदेशालय
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
भारत सरकार, दिल्ली

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय,
महेंद्रगढ़ (हरियाणा)

संरक्षक

मेजर जनरल (डॉ.) रणजीत सिंह,
कुलपति
एवीएसएम, वीएसएम (सेवानिवृत्त), प्रोफेसर एमेरिटस

संपादक मंडल

प्रो. रामनरेश मिश्र
अधिष्ठाता
भाषा, भाषा विज्ञान संस्कृति एवं विरासत विद्यालय

विजय कुमार
सहायक प्रोफेसर
शिक्षा विभाग

डॉ. अमित कुमार
सहायक प्रोफेसर
हिंदी एवं भारतीय भाषाएं विभाग

हमारा प्रतीक चिह्न

विश्वविद्यालय के प्रतीक चिह्न केंद्र में एक गोलाकार है जो तीन वक्र के पवित्र त्रिमूर्ति से घिरा हुआ है और इसके नीचे एक श्लोक है, जो नीति शतकम् से लिया गया है जिसके रचयिता भर्तृहरि हैं।

नीचे का वक्र जिसमें एक खुली किताब और एक वीणा चित्रित है, वह विश्वविद्यालय के सम्मलेन, ज्ञानार्जन प्रति बचनबद्ध, ज्ञान प्राप्त करने की खोज, सीखना, कला एवं संस्कृति का ज्ञान प्रबुद्ध एवं प्रचार प्रसार करने का प्रतीक है।

दायीं तरफ का वक्र जिसमें विज्ञान प्रक्रम प्रौद्योगिकी एवं साहस चित्रित है, वैज्ञानिक प्रगति के प्रचार प्रसार एवं सांस्कृतिक सृजनात्मक का सृजन, नए विचार एवं जिज्ञासु विचारों की प्राप्ति के प्रति विश्वविद्यालय की बचनबद्धता का प्रतीक है।

बायीं तरफ के वक्र में प्रकृति का चित्रण है जो पर्यावरण के लिए शैक्षिक आदर के प्रचार प्रसार, पर्यावरण विज्ञान एवं प्रकृति की सहमति के प्रति विश्वविद्यालय की बचनबद्धता को दर्शाता है।

केंद्र में ग्लोब या गोलाकार जो मानव कड़ी से घिरा है एवं ऊपर उड़ता हुआ कबूतर विश्वविद्यालय के विश्वास को दर्शाता है। तीन वक्र के संगम द्वारा विश्व शांति का नेतृत्व, समृद्धि एवं मानव एकात्मकता वचनबद्धता प्रस्तुत की जाती है जिसमें शिक्षा का वास्तविक भाव है।

नीचे लिखा हुआ श्लोक शिक्षा अमूल्य धन है, का संदेश देता है।

हमारा ध्येय

नवाचार के प्रचार प्रसार, रचनात्मक प्रयास एवं विद्वता की जाँच के माध्यम से देश एवं दुनिया, व्यक्तियों की शांति एवं समृद्धि के लिए एक ज्ञान समाज के लिए प्रबुद्ध नागरिकता का विकास करना।

हमारा उद्देश्य

- एक वैश्विक राष्ट्रीय एवं स्थानीय संदर्भ में शिक्षा, शिक्षण और खोज को परिभाषित करते हुए एक प्रमुख मॉडल बनाना।
- नवाचार शिक्षण एवं सीखने के समग्र वातावरण द्वारा विद्यार्थियों के उपयोगी ज्ञान, कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाने की उपलब्ध एवं विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ एक सीखने का वातावरण बनाने का प्रयास करना।
- अनुसंधान के उभरते हुए क्षेत्र को नया आयाम देना और परम्परागत क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ाना।
- शैक्षणिक एवं अनुसंधान के क्षेत्रों में उत्तरोत्तर विस्तार करके समय समय पर उनके विविध केन्द्रों का अनुसरण करना।
- विश्वविद्यालय प्रासांगिकता, गुणवत्ता और प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता और अध्ययन के अनुशासन पर ध्यान केन्द्रित करने का अनुकरण करता है।
- अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थानों के साथ साझेदारी का विकास करना एवं विश्वविद्यालय के प्रभाग एवं विद्यार्थियों दोनों के लिए प्रासांगिक व सांस्कृंतिक अध्ययन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संयोजन की सुविधा प्रदान करना या उपलब्ध कराना।
- प्रासंगिक और गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार, उद्योग, समुदाय सहित साझेदारों और अन्य लोगों को शामिल करना।
- कैम्पस में ईमानदारी, नैतिकता एवं मूल्यों का सृजन करना एवं उन्हे उच्चतम स्तर तक बनाए रखना एवं इन मूल प्रतिबद्धताओं की कमी के लिए शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करना।

हमारे सम्माननीय अतिथि

श्री प्रणब मुखर्जी

भारत के माननीय राष्ट्रपति

"भारतीय के रूप मे हमें निश्चित रूप से अतीत से सीख लेनी चाहिए, पंरतु हमें भविष्य पर भी अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। मेरे विचार से शिक्षा ही ऐसी विद्या है जो भारत को अपने अगले सुनहरे युग मे ला सकती है। हमारी प्राचीन शिल्पियों ने ज्ञान के स्तंभों के चारों ओर समाज की बुनियाद रखी, हमारी चुनौती है कि इस ज्ञान को हमारे देश के हर कोने में फैलाकर प्रजातांत्रिक ताकत में परिवर्तित करें।

हमारा सिद्धांत स्पष्ट है – ज्ञान सभी के लिए तथा सब ज्ञान के लिए।"

संदेश

परम प्रसन्नता का विषय है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय देश में राजभाषा हिंदी को लोकप्रिय बनाकर प्रतिष्ठित स्थान देने के लिए तत्पर है। इस संदर्भ में केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा हिंदीतर प्रदेशों के छात्र–छात्राओं को हिंदी क्षेत्र के विश्वविद्यालय में भेज कर सहज संवाद और हिंदी शिक्षण का सराहनीय अवसर दिया जा रहा है।

यह हर्ष का अवसर है कि हिंदीतर क्षेत्र के विद्यार्थियों को हिंदी विचार–विमर्श हेतु केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा का चयन किया गया है। दूर–दूर से, हिंदीतर प्रदेशों से आए समस्त विद्यार्थियों और निदेशालय के पथ–प्रदर्शक प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूँ।

देश की गरिमा हिंदी को दिशा देने वाले संगोष्ठी में पधारे विद्वान वक्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।

मेरा विश्वास है यह संगोष्ठी हिंदी के प्रेरक परिवेश बनाने में मुख्य भूमिका निभाएगी।

संगोष्ठी की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ।

मेजर जनरल (डॉ.) रणजीत सिंह,
कुलपति
एवीएसएम, वीएसएम (सेवानिवृत्त), प्रोफेसर एमेरिटस

संदेश

हिंदी भारतवर्ष के संविधान के अनुसार राजभाषा ही नहीं, देश की संस्कृति और आदर्श को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली धड़कन है। हिंदी संपर्क भाषा के रूप में कश्मीर से कन्या कुमारी तक प्रयुक्त होकर देश को एक सूत्र में बाँधे हुए है। देश की पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मालयालम, बंगला, और असमी भाषाएँ सतत प्रवाहित सरिता के समान जन–मानस को अभिव्यक्ति का आधार देती हैं, तो हिंदी महानदी गंगा की तरह समस्त भारतवासियों को एक सबल आधार प्रदान कर गर्व का अनुभव कराती है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा छात्र अध्ययन यात्रा का गौरवपूर्ण राष्ट्रीय कार्य किया जा रहा है। मेरा विश्वास है कि इस यात्रा संदर्भ में विश्वविद्यालय में आयोजित हिंदी की राष्ट्रीय संगोष्ठी विशेष उपयोगी सिद्ध होगी। हिंदीतर प्रदेशों से आए छात्र–छात्राओं के लिए हिंदी विद्वानों का सान्निध्य, मार्ग दर्शन निश्चय ही प्रेरणादायक होगा। संगोष्ठी के विचार–विमर्श से विद्यार्थियों, शोधार्थियों और हिंदी को नई दिशा मिलेगी।

संगोष्ठी की सफलता के लिए शुभकामनाएँ।

डॉ. ए.के. झा
कुलसचिव

संपादकीय

भारत भूमि धन्य है। यहाँ उत्तर में पर्वतराज हिमालय बर्फ की सफेद टोपी धारण किए देश की सुरक्षा करते हुए उसका गौरव गान करता है। दक्षिण में उत्ताल तरंगों में हिलोरें लेते हुए सागर भारत माता के पद पखारता रहता है। भारत की राजभाषा, राष्ट्रभाषा, माध्यम भाषा, संचार भाषा और संपर्क भाषा हिंदी देश को एक सूत्र में बाँधे हुए है। हिंदी भारतीय आदर्श और संस्कृति की संवाहिका है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की केंद्रीय हिंदी निदेशालय संस्था राष्ट्रीयता की प्रतीक हिंदी के प्रचार–प्रसार के लिए कई योजनाएँ चला रही है। जिनमें कोश–निर्माण, श्रेष्ठ पुस्तक–प्रकाशन, पुरस्कार योजना, पत्राचार पाठ्यक्रम के अतिरिक्त प्राध्यापक व्याख्यान यात्रा और छात्र एवं शोध–छात्र अध्ययन यात्रा विशेष उल्लेखनीय हैं।

विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति मेजर जनरल (डॉ.) रणजीत सिंह में शिक्षा जगत को नई दिशा, नई गति और नई ऊर्जा देते हुए समाज को उन्नति के शिखर पर पहुँचाने की उत्कट अभिलाषा है। उनके मन में एक अनुप्रेरक और प्रबल ललक है कि वे हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में ऐसी ज्ञान ज्योति जगा दें, जिससे प्रदेश और देश ही नहीं, विश्व–पटल जगमगा उठे।

मैंने कुलपति महोदय से केंद्रीय हिंदी निदेशालय की 'छात्र अध्ययन यात्रा' की चर्चा की। जिज्ञासु मन तुरंत और पूर्ण जानकारी चाहता है। मैंने पूरी जानकारी दी कि इस 'छात्र अध्ययन यात्रा' में हिंदीतर प्रदेश–कर्नाटक, केरल, असम और जम्मू आदि के विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी आकर हिंदी पर विचार–विमर्श करेंगे, देश को एक सूत्र में बॉधने वाली हिंदी पर नव चिंतन करते हुए नए लक्ष्य का द्वार खोलेंगे। यह सुनते ही कुलपति महोदय ने राष्ट्रीय स्तर पर भाव आदान–प्रदान के लिए सहर्ष अनुमति प्रदान कर दी। इतना ही नहीं कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएॅ भी दी। मैं अपनी ओर से और विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों, शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों और विद्यार्थियों की ओर से मान्य कुलपति महोदय के प्रति प्रेरक संदर्भ के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूॅ।

मैं विश्वविद्यालय की ओर से हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय पर अभूतपूर्व कृपा दृष्टि रखनेवाले महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के प्रति विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिनकी प्रेरक छाया विश्वविद्यालय के प्रगति–पथ का पाथेय बनी है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कुलाधिपति प्रो. (डा.) एम.पी. सिंह के प्रति जिनके आगमन से विश्वविद्यालय

परिसर और परिवेश अपूर्व ऊर्जा प्राप्त करता है।

इस योजना में दूर–दूर से आए समस्त हिंदी विद्वानों के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन मेरा धर्म है, क्योंकि आपके पीयूषवर्षी व्याख्यान से हम सब में राष्ट्रीयता के साथ व्यावहारिक ज्ञान–बोध की हरीतिमा लहराई है।

मैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, जिसके द्वारा हिंदी भाषी और हिंदीतर भाषी विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर विचार–विमर्श का अनूठा अवसर प्रदान किया है। देश के कोने–कोने से, दूर, दूर बहुत दूर से आए जिज्ञासु विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है।

विश्वविद्यालय के कार्य को गति देने वाले कुलसचिव डॉ. ए. के. झा के प्रति हार्दिक आभार, आपकी शुभकामनाएँ कार्यक्रम की सफलता की संबल हैं। विश्वविद्यालय परिवेश को मुखर ओजस्वी और मधुर स्वर से भावभीना बनाकर प्रोत्साहित करने वाले कवियों का विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत और अभिनंदन। ■

प्रो. नरेश मिश्र

अनुक्रम

1. संपादकीय

2. विश्वविद्यालयीय परिवेश

3. कुलपति संदेश

4. कुलसचिव संदेश

5. भाषा और अभिव्यक्ति–मेजर जनरल (डॉ.) रणजीत सिंह

6. भाषा शिक्षण और विश्व में हिंदी–डॉ. कृष्ण कुमार गोस्वामी

7. देवनागरी मात्र : वर्तमान स्वरूप और महत्त्व–डॉ. नरेश मिश्र

8. वर्तनी : मानकीकरण–डॉ. उन्मेष मिश्र

9. भाषा एवं राजभाषा के सामाजिक तथा राष्ट्रीय सरोकार–डॉ. जगदीश

10. फिल्मभाषा की आर्थी संरचना–डॉ. दिलीप सिंह

11. हिंदी : वर्तमान संदर्भ – डॉ. अमित कुमार

12. हिंदीतर क्षेत्र के आगंतुक छात्रों की सूची

भाषा और अभिव्यक्ति

मेजर जनरल (डॉ.) रणजीत सिंह

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मनुष्य और समाज का अन्योन्याश्रित संबंध है। समाज का उद्‌भव भाषा के आधार पर हुआ है। भाषा का विकास समाज में और समाज के लिए हुआ है। परिवर्तनशील परिवेश में भाषा भी सतत परिवर्तनशील है। मनुष्य में भाषाई अधिगम शक्ति है। इसी आधार पर मनुष्य एकाधिक भाषाओं को सीख कर जीवन में गतिशील रहता है। भाषा की प्रवीणता से मनुष्य में आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति की शक्ति जगती है और वह बहुआयामी उन्नति करता है।

हिंदी भारतवर्ष की मातृभाषा, माध्यम भाषा, संचार भाषा, राष्ट्र भाषा और संपर्क भाषा है। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का गरिमामय पद दिया गया है। प्रत्येक देश का अपना झंडा, अपना आदर्श, अपना संविधान और अपनी भाषा होती है। प्रत्येक व्यक्ति में अपनी माँ, मातृभूमि और अपनी संस्कृति की संवाहिका भाषा पर गर्व होना चाहिए। यह भी सुनिश्चित तथ्य है कि इनसे जो अपनापन और स्वाभिमान जगता है, वह अन्य किसी भाषा से संभव नहीं है।

आत्मविश्वास मनुष्य की परम धरोहर है। भाषा के शुद्ध, स्पष्ट और प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए सर्वप्रथम आत्म विश्वास जगाना होगा। आत्म विश्वास जगते ही तर्क–वितर्क की डांवा डोल स्थिति समाप्त हो जाती है, बोलने या संवाद करने का उत्साह जग जाता है। मन में उत्साह का प्रस्फुटन अपने पथ पर गतिशील होने का सूचक और प्रतीक है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आत्म विश्वास की भावभूमि से उद्‌भूत उत्साह मनुष्य को सफलता के राजपथ पर पहुँचा देता है। इससे आगे बढ़ने की शक्ति संचरित हो जाती है।

अब आवश्यकता होती है– भाषा और भाषार्जन अभिरुचि की। विभिन्न भाषाओं में से एक भाषा का वरीयताक्रम में चयन करना होगा। जिस भाषा में अपनापन, अपना उत्कर्ष संभव हो, उसका चयन करना चाहिए। यह सर्वविदित तथ्य है–

एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाय।

रहिमन सींचे मूलहिं, फूलहिं फलहिं आधाय।।

मानव जीवन फूलों की सेज नहीं काँटों भरा मार्ग है। जीवन में उतार–चढ़ाव से गुजर कर कठिनाइयों को पार करना पड़ता है। उत्साही मन दृढ़–संकल्प के साथ आगे गढ़ कर लक्ष्य का वरण करता है। सुंदर और प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए भाषा पर अधिकार होना चाहिए।

भाषा प्रयोक्ता सर्वप्रथम भाषाई परिवेश से सुपरिचित होता है। यदि हिंदी की साहित्यिक संगोष्ठी है, तो मानक हिंदी का प्रयोग सुखद और सफल सिद्ध होगा। यदि संगोष्ठी हरियाणवी, ब्रज या अवधी के भाषाई परिवेश में हो, तो संबंधित भंगिमा प्रशंसनीय होगी। यह सर्वविदित तथ्य है कि एक भाषाई परिवेश में अन्य भाषा का प्रयोग प्रभावहीन, विषम अथवा उपेक्षित होने की पूरी संभावना होती है। इस प्रकार भाषाई परिवेश के अनुसार भाषाधार का चयन सफलता का प्रतीक होता है।

विधाता की सृष्टि में कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं हो सकता। इसलिए वक्तव्य से पूर्व विषय के सामान्यज्ञान से आगे बढ़कर प्रवीणता प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रकार संबंधित विषय पर चिंतन, मनन और अभ्यास उपयोगी होता है।

भावाभिव्यक्ति के लिए भाषाई शक्ति में दो मुख्य तथ्य उल्लेखनीय है– शब्द और व्याकरण। प्रत्येक भाषा की अपनी शब्दावली और अपना व्याकरण होता है। मनुष्य की भाषा की यह सबसे प्रमुख विशेषता है कि प्रयोग करते रहने से शब्द और व्याकरण का स्वतः ज्ञान हो जाता है।

हिंदी की समृद्ध शब्दावली है। समानार्थी शब्दावली और विनम्रभाव शब्दावली हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता है। विविध भावों के सूक्ष्म अंतर को प्रकट करना सरल है। पानी के कई पर्यायी शब्द हैं; पानी, जल, वारि, नीर, तोय, अंबु आदि। पानी और जल पर्यायी शब्द हैं। इनके अर्थ में बहुत अंतर है। शुद्ध प्रयोग में ध्यान रखना ही होगा। हिंदी सीखाने के लिए यह चिंतन अनिवार्य है कि 'पानी' सामान्य या गंदा रूप हो सकता है, किंतु 'जल' शुद्ध या पवित्र होता है। इसी प्रकार प्रयोग होगा–

गंदी नाली में पानी बह रहा है।

गंगा जल पवित्र होता है।

इसी प्रकार **'you'** के लिए हिंदी में 'आप', 'तुम', 'तू' तीन शब्द प्रयुक्त होते हैं। 'आप' आदरसूचक है, 'तुम' समानता सूचक है, तो 'तू' भाव प्रबलता (प्रेम, क्रोध, घृणा आदि) में प्रयुक्त होता है।

''आप क्या करता है?'' वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि व्यावहारिक रूप में और व्याकरण के अनुसार कर्ता 'आप' के अनुसार आदरसूचक क्रिया प्रयुक्त होगी–''आप क्या करते हैं?''

संवाद में जटिल, कठिन शब्दों के स्थान पर सरल और बोधगम्य शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इसके विपरीत जटिल शब्द प्रयोग में भूल होने की संभावना होती है और बोधगम्यता भी शिथिल हो सकती है, यथा–

अशुद्ध– प्रचंड विद्वान प्रकांड धूप में खड़ा है।

यहाँ वाक्य में 'प्रचंड' और 'प्रकांड' का गलत प्रयोग किया गया है। इसका शुद्ध रूप है–

प्रकांड (बहुत बड़ा) विद्वान प्रचंड (बहुत तेज) धूप में खड़ा है।

निश्चय ही सरल भाषा अभिव्यक्ति के लिए सर्वोत्तम होती है।

भाषा को परिस्थिति के अनुसार ओजस्वी, विनम्र अथवा मधुर प्रयोग वक्ता की सफलता का आधार बनता है। उसका प्रभाव भी उसी के अनुसार होता है। वीर रस में मधुर भाषा और प्रेम में परुष भाषा की प्रस्तुति सफल नहीं होती, वरन् हॅंसी का पात्र बनना पड़ता है। अवसर के अनुकूल बोल के स्वर से अभिव्यक्ति का प्रभावी रूप सामने आता है।

भाषा मानव जीवन की चिरसंगिनी है। भाषा मनुष्य की इच्छा को अंतिम पल तक अभिव्यक्ति प्रदान करती है। सफल वक्ता अपने वक्तव्य या संवाद के पश्चात उसकी श्रेष्ठता, शिथिलता का विश्लेषण करता है। इससे उसके वक्तव्य में सतत प्रभावी और उत्कर्ष रूप विकसित होता रहता है।

हिंदी भारतवर्ष के आदर्श और संस्कारों की भाषा है। इसका प्रयोग आत्मविश्वास और गर्व से करना चाहिए। यह सुनिचित तथ्य है कि जब एक भाषा पर अधिकार हो जाता है, तो दूसरी भाषाओं का सीखना सरल हो जाता है। इस प्रकार अपनी भाषा के अपेक्षित ज्ञान के साथ स्पष्ट और प्रभावी अभिव्यक्ति सफलता की कुंजी है। ■

कुलपति
हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
महेंद्रगढ़ (हरियाणा)

भाषा शिक्षण और विश्व में हिंदी

प्रो. कृष्ण कुमार गोस्वामी

भाषा शिक्षण एक अनुप्रयोगात्मक विधा है। अनुप्रयोग होने के कारण इसमें उद्देश्य निहित रहता है। वास्तव में भाषा किसी न किसी विशेष उद्देश्य या प्रयोजन के लिए सीखी–सिखाई जाती है। जब तक भाषा शिक्षण के उद्देश्य और प्रयोजन निर्धारित नहीं होते, उसकी सार्थकता और संप्राप्ति को आँका नहीं जा सकता। भाषा शिक्षण की अपनी सिद्धि निर्धारित प्रयोजन की सिद्धि है जो शिक्षार्थी–सापेक्ष होती है। हिन्दी भाषा शिक्षण के संदर्भ में देखा जाए तो उसके एक ओर एक ऐसा भाषा–भाषी समुदाय है जिसे न तो हिंदी भाषा का ज्ञान है और न ही व्यक्तिपरक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानना आवश्यक समझता है और दूसरी ओर एक समुदाय है जो न केवल हिंदी का सामान्य ज्ञान रखता है बल्कि उसके मानक रूप से भी परिचित है। भाषा शिक्षण का संबंध मातृभाषा और अन्य भाषा शिक्षण के दोनों से है। इन दोनों के संदर्भ में हिंदी शिक्षण की प्रकृति और प्रणाली शिक्षार्थी की आवश्यकता, प्रयोजन और अभिप्रेरणा के कारण अलग–अलग हो जाती है। वस्तुतः मातृभाषा एक सामाजिक यथार्थ है जो व्यक्ति को अपने भाषायी समाज के व्यापक सामाजिक संदर्भों से जोड़ती है और उसकी सामाजिक अस्मिता का निर्धारण करती है। इसी के आधार पर व्यक्ति अपने समाज और संस्कृति के साथ जुड़ा रहता है। इसी से उसके बौद्धिक विकास के साथ–साथ उसकी संवेदनाओं और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए उसकी बौद्धिक चेतना में वृद्धि करने के लिए मातृभाषा के पढ़ने और लिखने के कौशल सिखाए जाते हैं और वह साक्षर हो कर अपने रोजमर्रा के कार्य सुचारू रूप से करने में सक्षम होता है।

अन्य भाषा शिक्षण के अंतर्गत द्वितीय भाषा के रूप में और विदेशी भाषा के रूप में शिक्षण होता है। वास्तव में मातृभाषा से अलग भाषा द्वितीय भाषा मानी जाती है जो अधिकतर सामाजिक दृष्टि से प्रकार्यात्मक अथवा व्यावहारिक कारणों से सीखी जाती है, क्योंकि अपने देश के नागरिक के रूप में वक्ता इसके प्रत्यक्ष मूल्यों से जुड़ा रहता है। कुछ देशों में अपनी भौगोलिक सीमा के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय जीवन के कुशल संचालन के लिए एक से अधिक भाषाएँ समायोजित होती हैं। इसी कारण द्वितीय भाषा और विदेशी भाषा में अंतर मिलता है। द्वितीय भाषा देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत और संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में परिभाषित होती है जबकि विदेशी भाषा देश की भौगोलिक सीमा तथा संस्कृति एवं परंपरा दोनों संदर्भों से अलग माना जाता है। विदेशी भाषा का शिक्षण अन्य देश की संस्कृति को जानने अथवा ग्रहण करने के प्रयोजन से होता है जबकि द्वितीय भाषा का शिक्षण अपने देश की संस्कृति को अभिव्यक्त करने के लिए विकल्प के प्रयोजन से होता है। नेपाली भाषा भारत के सिक्किम राज्य में प्रमुख रूप से बोली जाती है और नेपाल की यह मातृभाषा तथा राजभाषा के रूप में व्यवहृत है। भारत की सीमा से बाहर होते हुए भी यह हिंदी भाषा के संदर्भ में द्वितीय भाषा है क्योंकि हिंदी संस्कृति और परंपरा तथा नेपाली संस्कृति और परंपरा में काफी समानता मिलती है। इसी परिप्रेक्ष्य में

भारत में अंग्रेजी विदेशी भाषा के साथ–साथ द्वितीय भाषा का कार्य भी कर रही है। भारतीय सीमा और संस्कृति परंपरा से अलगाव के संदर्भ में यह वस्तुतः विदेशी भाषा है किंतु प्रकार्यात्मक दृष्टि से यह द्वितीय भाषा की भूमिका निभा रही है, क्योंकि भारत में इसका अधिकतर प्रयोग शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्रों में होता है। जो 'इंडियन इंग्लिश' के रूप में जानी जाती है। अंग्रेजी की प्रकार्यात्मक उपयोगिता के कारण पूर्वांचल की खासी, गारो, मणिपुरी, मिजो आदि भाषाओं की अपेक्षा यह द्वितीय भाषा के अधिक निकट जा पड़ती है।

अन्य भाषा शिक्षण में बोधन (श्रवण), पठन, लेखन और भाषण चार कौशलों के शिक्षण की प्रक्रिया चलती है, जबकि मातृभाषा शिक्षण अथवा (प्रथम भाषा शिक्षण) में पठन और लेखन दो कौशलों का शिक्षण होता है। इस आधार पर भी मातृभाषा शिक्षण, द्वितीय भाषा शिक्षण और विदेशी भाषा शिक्षण में भिन्नता मिलती है। इन तीनों के परिप्रेक्ष्य में इन कौशलों के अध्ययन के लिए अलग–अलग विधियाँ और प्रविधियाँ भी हैं। इसलिए भाषा शिक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में भाषिक लक्ष्यों को ध्यान में रखना होगा और विशेष भाषा वर्ग के लिए शिक्षण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा। निम्नलिखित सारणी से शिक्षण स्थिति का विवेचन किया जा सकता है।

<u>शिक्षण की स्थितियाँ</u>

शिक्षण संदर्भ	प्रथम भाषा	द्वितीय भाषा	विदेशी भाषा
पूर्व ज्ञान	(1) भाषिक क्षमता (2) संप्रत्यय निर्माण (3) प्रारंभिक स्तर पर सांस्कृतिक विशिष्टताएँ	(1) कुछ वर्गों में कुछ सीमा तक संग्रहण क्षमता (2) प्रगत संप्रत्यय निर्माण (3) क्षेत्रीय शब्दावली (यदि कोई है) (4)एक समान सांस्कृतिक विशिष्टताएँ (5) लेखन पद्धति और समान वर्ग	अंतर्निहित अधिगम प्रक्रिया और कुछ मामलों में संप्रत्ययीकरण की क्षमता
सिखाए जाने वाले कौशल	(1) लेखन पद्धति (2) संरचनाओं का विस्तार (3) संस्कृति–संक्रमणीकरण तथा प्रयोजनपरक शब्दावली	(1) संरचना (2) लेखन पद्धति (3) सांस्कृतिक स्थिति और शब्दावली का संवर्धन (4) ध्वनि–प्रक्रिया, व्याकरणिक संरचना, शब्दावली आदि के व्यतिरेकी बिंदु (5) हाव–भाव और भावभंगिमाओं से अभिव्यक्ति आदि (6) मातृभाषा के प्रभाव से और अन्य किसी दोषपूर्ण अधिगम प्रक्रिया से त्रुटियाँ (यदि कोई हो)	(1) संरचना (2) लेखन पद्धति (3) सांस्कृतिक स्थितियाँ (4) शब्दावली और प्रयोग (5) उन क्षेत्रों में मातृभाषा के कारण त्रुटियाँ जहाँ भाषाओं के बीच भाषा व्यवस्था में कोई अंतर हो।

इस प्रकार मातृभाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और विदेशी भाषा की संकल्पना को समझे बिना हिंदी भाषा शिक्षण की प्रक्रिया और प्रणाली को स्पष्ट करना संभव नहीं है।

अब हम हिंदी शिक्षण के संदर्भ में चर्चा करते हैं और हम देखते हैं कि अन्य भाषा के रूप

में हिंदी के सीखने–सिखाने की परंपरा काफी पुरानी रही है। तेरहवीं शताब्दी से ही विदेशियों ने इसे सीखा और अपने सैनिक अभियानों और राज्य–विस्तार की गतिविधियों में इसे छोटे से भूभाग की बोली के संदर्भ से ऊपर उठाकर अंतरक्षेत्रीय भाषा बना दिया जिससे इसके क्षेत्रीय बोलीपन की विशेषताएँ लुप्त हो गई। इसी क्रम में इसने अपनी सहबोलियों के साथ–साथ अन्य भाषाओं के तत्त्व भी गृहीत किए और यह सामान्यतः क्षेत्र–निरपेक्ष हो गई।

अन्य भाषा शिक्षण के अंतर्गत द्वितीय भाषा के रूप में और विदेशी भाषा के रूप में शिक्षण होता है। वास्तव में मातृभाषा से अलग भाषा द्वितीय भाषा मानी जाती है जो अधिकतर सामाजिक दृष्टि से प्रकार्यात्मक अथवा व्यावहारिक कारणों से सीखी जाती है क्योंकि अपने देश के नागरिक के रूप में वक्ता इसके प्रत्यक्ष मूल्यों से जुड़ा रहता है। कुछ देशों में अपनी भौगोलिक सीमा के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय जीवन के कुशल संचालन के लिए एक से अधिक भाषाएँ समायोजित होती हैं। विदेशी भाषा देश की भौगोलिक सीमा तथा संस्कृति एवं परंपरा दोनों संदर्भों से अलग माना जाता है। विदेशी भाषा का शिक्षण अन्य देश की संस्कृति को जानने अथवा ग्रहण करने के प्रयोजन से होता है।

विश्व के अनेक देशों में हिंदी शिक्षण के विभिन्न पाठ्यक्रम चल रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों में भाषा की विभिन्न इकाइयों–ध्वनि, रूप, शब्द, वाक्य आदि का शिक्षण कराया जाता है और उन्हें सामाजिक–सांस्कृतिक संदर्भों से परिचित कराया जाता है। हर देश की अपनी भाषिक और सामाजिक–सांस्कृतिक स्थितियाँ हैं और उनमें हिंदी का शिक्षण उन्हीं की स्थितियों के अनुरूप कराने की आवश्यकता पड़ती है। विश्व में लगभग डेढ़ सौ विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन–पाठन हो रहा है। इन विश्वविद्यालय में अन्य भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था है। विदेश में 12 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो दक्षिण–एशियाई अध्ययन से जुड़े हुए है और इनमें हिन्दी माध्यम से पी.एच.डी. शोध करने की व्यवस्था है। लगभग 22 विश्वविद्यालयों में आरंभिक स्तर से हिन्दी शिक्षण होता है। जिन देशों में भारतवंशी अधिक संख्या में हैं, उनमें हिंदी शिक्षण अधिकांशतरू द्वितीय भाषा के रूप में होता है और जहाँ उस देश के मूल निवासी हिन्दी सीखते हैं, वहाँ हिंदी का शिक्षण विदेशी भाषा के रूप में होता है। इस दृष्टि से विदेशों में हिंदी शिक्षण तीन आयामों में होता है–एक, भारतवंशी बहुल देशों में, दो, एशियाई देशों में तथा तीन, यूरोपीय देशों और अमरीका में।

<u>भारतवंशी बहुल देशों में हिन्दी शिक्षण :</u>

अफ्रीका महाद्वीप, प्रशांत महासागर, कैरेबिअन सागर में मॉरिशस, फिजी, गुआना, सूरीनाम, ट्रिनिडाड एवं टुबेगो देश हैं जिनमें डेढ़–दो सौ वर्ष पहले भारतीय लोग पहुँचे थे। इन भारतीयों ने भारतीय संस्कृति और परंपरा को बनाए रखने के साथ–साथ हिंदी भाषा का भी अध्ययन–अध्यापन किया।

मॉरिशस के पोर्ट लुई स्थित रॉयल कॉलेज में हिन्दी की पढ़ाई 1892 में प्रारंभ हुई। यहाँ हिंदी शिक्षण प्राथमिक स्तर से प्रारंभ होता है। मॉरिशस विश्वविद्यालय में बी.ए. तथा

महात्मा गांधी संस्थान में एम. ए. तथा पी. एच. डी. स्तर पर हिंदी एक विषय है। इस देश में स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं का योगदान भी काफी सराहनीय है। हिंदी लेखक संघ, हिंदी अकादमी, इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र तथा इंद्रधनुष सांस्कृतिक परिषद में उत्तम कार्य हो रहा है। क्रियोली (भाषा) के अलावा भोजपुरी यहाँ की संपर्क भाषा रही है।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय गिरमिटिया मजदूरों के रूप में पहुँचे। स्वामी भवानी दयाल संन्यासी ने हिंदी प्रचारिणी सभा की स्थापना की और सन् 1916 में एक साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन भी किया। सन् 1948 में हिंदी शिक्षा संघ की स्थापना हुई। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के बीच ही महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में हिंदी अध्ययन–अध्यापन के कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य करने वालों में शिवनारायण पांडेय, नरदेवजी वेदालंकार, प्रो. रामभजन सीताराम, डॉ. ऊषा शुक्ल आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

फीजी में कक्षा 1 से लेकर 10वीं कक्षा तक हिंदी भाषा की शिक्षा दी जाती है और उसकी परीक्षाएँ भी होती हैं। हिन्दी का उच्च अध्ययन एवं प्रशिक्षण यहाँ के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में होता है। आर्य समाज सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा, रामकृष्ण मिशन, हिंदी परिषद आदि फिजी की प्रमुख प्रचारक संस्थाएँ हैं।

दक्षिण अमरिका के देश वेनेजुएला के समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर कैरेबिअन सागर में दो सुंदर द्वीपों का एक देश है ट्रिनिडाड एवं टुबैगो। ट्रिनिडाड के अनेक गाँवों मे छोटी–छोटी पाठशालाएँ खोलकर हिंदी पढ़ने–पढ़ाने का काम शुरू किया गया। 1969 में स्थापित भारतीय विद्या संस्थान में हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। 1986 में ट्रिनिडाड में हिंदी भाषा के प्रचार–प्रसार के लिए हिंदी निधि नामक संस्था की स्थापना हुई। ट्रिनिडाड के एक प्रतिष्ठित संस्थान निहरस्ट के स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज में भी हिन्दी कक्षाओं का आयोजन होता है। इसके अतिरिक्त गांधी सेवा संघ, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, आर्य प्रतिनिधि सभा, हिंदू प्रचार केंद्र आदि संस्थाएँ हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रचार–प्रसार में जुटी हैं।

सूरीनाम में भारत के विभिन्न प्रदेशों से गए विविध भाषा–भाषी भारतीयों को जोड़ने का काम हिंदी करती है, इसलिए यहाँ हिंदी भारतीय अस्मिता की प्रतीक बन गई है। सूरीनाम में राजभाषा 'डच' के साथ–साथ भारतवंशियों के घर, मंदिर और मस्जिद सर्वत्र हिंदी भाषा का प्रयोग 'सरनामी' के रूप में होता है। यहाँ सूरीनामियों की भारतीय संस्कृति की भी अनेक संस्थाएँ हैं, जिनके अंतर्गत हिन्दी के प्रचार–प्रसार के साथ–साथ शिक्षण कार्य भी होता है, लल्लारूख भारतवंशियों की प्रमुख संस्था है, जिनका हिंदी शिक्षण में विशेष योगदान है। गुआना में हिंदी का प्रयोग बहुत कम है। गुआना हिन्दी प्रचार सभा हिंदी शिक्षण का कार्य करती है तथा प्राथमिक, माध्यमिक और राष्ट्रभाषा की परीक्षाएँ आयोजित करती है।

एशियाई देशों में हिंदी शिक्षण :

जापान और भारत का सांस्कृतिक तथा साहित्यिक संबंध बहुत प्राचीन है। जापान में आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्यापन का आरंभ सन् 1908 में तोक्यो विदेशी भाषा महाविद्यालय में हुआ था। सन् 1921 में 'ओसाका यूनिवर्सिटी ऑफ फोरेन स्टडीज' की स्थापना हुई। तोक्यो की एक विद्यापीठ में 1962 से हिंदी का चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम चलता है। तोक्यो के आसाही संस्कृत स्थान, भारत–जापान परिषद, 'सर्वोदय' के अनुयायी हिरोकी नागा के एशिया–अफ्रीकी भाषा विद्यालय में हिंदी अध्ययन–अध्यापन की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त ताइशो, ओतानी, ओत्तेमोन गाकुइन और कन्साई विदेशी अध्ययन विश्वविद्यालय में भी हिंदी की पढ़ाई होती है। इस प्रकार जापान में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और निजी शिक्षा–संस्थाओं में हिंदी सीखने वालों की संख्या प्रतिवर्ष 200 से भी अधिक होती है।

दक्षिण कोरिया में विश्वविद्यालयी स्तर पर हिंदी का अध्ययन–अध्यापन व्यवस्थित ढंग से हो रहा है। इसकी राजधानी सिओल में स्थित हानकुक विश्वविद्यालय के विदेशी भाषा अध्ययन विभाग में 1972 से हिंदी का पढ़ाई हो रही है। सियोल के अतिरिक्त पुसान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में भी हिंदी का शिक्षण होता है। सियोल के तीनों कैंपस में हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 300 से अधिक है।

चीन में हिंदी अध्ययन–अध्यापन की नियमित व्यवस्था का श्रीगणेश सन् 1942 में खुनमिड़ में स्कूल आफ ओरियंटल लेंग्वेज एंड लिटरेचर में दो वर्षीय पाठ्यक्रम से हुआ। पेइचिंग विश्वविद्यालय में भारत विद्या और हिंदी शिक्षण की व्यवस्था प्रो. यिन ने की थी। इस विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने स्वयं हिंदी शिक्षण पुस्तक की रचना भी की है। इसमें देवनागरी लिपि, उच्चारण और व्याकरणिक नियमों को वैज्ञानिक ढंग से इस प्रकार समझाया गया है, जिससे छात्र हिंदी स्वयं सीख सकता है।

भारत के पड़ोसी देश नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान में हिंदी शिक्षण सुचारू रूप से चल रहा है। नेपाल को हिंदी का एक विशाल क्षेत्र माना जा सकता है। हिंदी की विकास धारा के साथ–साथ नेपाली भी विकसित हो गई है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री जी. पी. कोईराला, मातृका प्रसाद कोईराला, सूर्य प्रसाद उपाध्याय, रामनारायन मिश्र, भद्रकाली मिश्र आदि ने हिन्दी को द्वितीय राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए भरसक प्रयास किया। नेपाल की राष्ट्रभाषा नेपाली है, लेकिन लिपि देवनागरी है। काठमांडू में स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय में एम.ए. हिंदी का पाठ्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है।

पाकिस्तान में कराची, इस्लामाबाद और लाहौर तीन विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण होता है। इसमें प्रमाणपत्र, डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के साथ–साथ एम.ए. हिंदी की पढ़ाई भी आरंभ हो चुकी है। इन पाठ्यक्रमों में अधिकतर महिलाएँ हैं। यहाँ पर हिंदी में भारतीय संस्कृति तो मिलती ही है, साथ ही इसका मिजाज और रंग–ढंग भी अपना है। कहीं–कहीं फारसी का प्रभाव भी मिलता है। श्रीलंका में हिंदी भाषा के लोकप्रिय होने पर भी हिंदी शिक्षण की सुविधाओं का अभाव है। श्रीलंका में हिंदी निकेतन की विभिन्न शाखाओं में, कॅलणिय

विश्वविद्यालय, कोलंबो विश्वविद्यालय, श्री जयवर्धनपुर विश्वविद्यालय तथा निजी संस्थानों में हिंदी का अध्यापन उपाधि स्तर पर लगातार चल रहा है। यहाँ पर केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के पाठ्यक्रमों के अनुसार हिंदी की कक्षाएं भी आयोजित होती हैं।

यूरोपीय देशों और अमरीका में हिन्दी शिक्षण :

इंग्लैंड में खुले ओरियंटल सेमिनरी में हिंदुस्तानी की पढ़ाई 1798 में शुरू हुई थी और लगभग 150 साल पहले ही कैंब्रिज विश्वविद्यालय में हिन्दी की पढ़ाई शुरू हो गई थी। यहाँ के विद्वानों में डॉ. रोनाल्ड स्टुअर्ट मैकग्रेगर उच्चकोटि के अनुवादक, संत काव्य के विशेषज्ञ और व्याकरण के पंडित है। उन्होंने मौखिक हिंदी अभ्यास माला, 'आउट लाइन ऑफ हिन्दी ग्रामर' जैसी महत्त्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं। साथ ही, जर्मनी विश्व के उन प्रमुख देशों में है, जहाँ विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा का शिक्षण एवं साहित्य का विधिवत् पठन–पाठन हो रहा है। हुम्बोल्ट विश्वविद्यालय के अंतर्गत सन् 1950 से एशियाई अध्ययन संस्थान की स्थापना हुई है, जिसमें हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं संस्कृत, उर्दू तथा बांग्ला का भी अध्ययन–अध्यापन हो रहा है। हिंदी, बांग्ला, कन्नड़ तथा रूसी के जर्मन विद्वान लोठार लुत्से ने प्रो. बहादुर सिंह के साथ मिलकर एक हिंदी पाठ्यपुस्तक की रचना की, जो जर्मनी के अनेक विश्वविद्यालयों में सहायक पाठ्यपुस्तक के रूप में प्रयुक्त होती है।

चौक गणराज्य के चार्ल्स विश्वविद्यालय, प्राहा, ओरियंटल हिंदी इंस्टीट्यूट, प्राग यूनिवर्सिटी आदि में हिन्दी शिक्षण का कार्य होता है। इसमें विविध प्रामाणिक शिक्षण, सामग्री के निर्माण तथा प्रणयन पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाता है। हिंदी भाषा के प्रति रोमानिया का अनुराग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हिंदी का अध्ययन–अध्यापन रोमानिया के बुखारस्त विश्वविद्यालय में ऐच्छिक विषय के रूप में सन् 1965 में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। 1971 में रोमानिया के बुखारेस्त विश्वविद्यालय में हिन्दी का चार वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू हुआ। इसके स्नातक छात्रों को विदेशी भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन एक मुख्य विषय लेकर करना होता है।

पोलैंड के वार्सा विश्वविद्यालय में हिंदी पाठ्यक्रम का शुभारंभ श्रीमती तात्याना रूत्कोव्सका ने किया। इसके बाद सन् 1966 में मारिया क्रिस्तोफर बृस्की के प्रयास से हिन्दी के प्रारंभिक शिक्षण के साथ–साथ एम. ए. पाठ्यक्रम भी चल रहा है। हिंदी साहित्य और भाषा पर शोध कार्य भी हो रहा है। बल्गारिया के सोफिया विश्वविद्यालय में हिन्दी का अध्ययन–अध्यापन स्नातक स्तर पर होता है। इसमें हिंदी शिक्षण की नियमित व्यवस्था सन् 1974 से प्रारंभ हुई, जब विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या विभाग में चीनी, जापानी, मंगोलियन, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं के साथ हिंदी को भी जोड़ा गया। इस द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में हिंदी ध्वनि और उच्चारण पर अधिक बल दिया जाता है।

इटली में रोम, नेपल्स, तोरिनो, मिलान, वेनिस आदि शहरों में हिंदी पढ़ाई जाती है। रोम, तोरिनो एवं मिलान में नगरपालिका द्वारा चलाई जा रही कुछ शिक्षण संस्थाओं में हिंदी

का दो वर्षों का पाठ्यक्रम है। मुख्य रूप से हिंदी की पढ़ाई नेपल्स तथा वेनिस विश्वविद्यालय में होती है। फ्रांस के पेरिस विश्वविद्यालय में हिन्दी शिक्षण पिछले कई वर्षों से निरंतर चल रहा है। यहाँ पर हिंदी शिक्षण का प्रारंभ अक्षर ज्ञान से कर लघु निबंध लेखन तक किया जाता है। यह अध्ययन भाषा, साहित्य और संस्कृति के स्तर पर होता है। स्वीडन के उपसाला विश्वविद्यालय में 1968 से हिंदी पढ़ाने की शुरूआत हुई। आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्ययन के लिए स्वीडन में एक केंद्र स्थापित किया गया है, जिसमें हिंदी के अतिरिक्त तमिल, बांग्ला, आदि भारतीय भाषाएँ पढ़ाई जाती हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं का एक केंद्र स्वीडन के राजधानी स्टाकहोम में भी स्थित है।

हंगरी के बुदापेश्त में हिंदी का पाँच वर्षीय पाठ्यक्रम है। पिछले 10–15 वर्षों से हंगरी में भारतीय संस्कृति तथा भाषाओं के प्रति लोगों की रूचि बढ़ रही है। विश्वविद्यालय के अतिरिक्त भारतीय दूतावास में भी हिंदी की नियमित कक्षाएँ होती हैं। हंगरी में हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रचार–प्रसार में भारत सरकार तथा बूदापेश्त में स्थित भारतीय राजदूतावास के प्रयास महत्त्वपूर्ण हैं। बहुभाषाविद् मारिया नेज्येशी हिंदी शिक्षण में महत्त्वपूर्ण योगदान करते हुए तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक भाषाविज्ञान की भी अध्येता हैं। इन देशों के अतिरिक्त फिनलैंड, नार्वे, डेनमार्क, स्पेन, स्विट्जरलैंड आदि देशों में भी हिंदी शिक्षण सुचारू रूप से चल रहा है।

अमेरिका महाद्वीप के तीनों खंडों – उत्तरी, केन्द्रीय एवं दक्षिणी अमेरिका में हिंदी समझने और सीखने वालों के संख्या लाखों में है। उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा आदि देशों में हिंदी अध्ययन–अध्यापन स्कूल स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर और शोध स्तर तक हो रहा है। केन्द्रीय अमेरिका के मैक्सिको तथा दक्षिणी अमेरिका के अर्जेन्टिना, ब्राजील, वेनेजुएला, कोलंबिया, क्यूबा, पेरू और चिली देशों में सामान्य स्तर पर हिंदी पाठ्यक्रम चल रहे हैं। इन देशों में हिंदी अध्येता दो प्रकार के हैं– एक, अप्रवासी भारतीय हैं और दो, मूल अमेरिकी।

आधुनिकतम भाषा विश्लेषण के सिद्धांतों के आधार पर हिंदी का सबसे अधिक अध्ययन कार्य संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। इस अध्ययन के आधार पर विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री – पाठ्यपुस्तकें, प्रवेशिकाएँ, कोश तथा अन्य सहायक सामग्री अर्थात् भाषा प्रयोगशाला के लिए ऑडियो कैसेट, कंप्यूटर पर आधारित शिक्षण सामग्री का निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य है। ब्रिटिश कोलंबिया, इलिनाय, इंडियाना, हवाई, बोस्टन, पिट्सबर्ग, केलिफोर्निया, शिकागो, पेन्स्लिवानिया, न्यूयार्क, ओहायो, कार्नेल, मिशीगन, विस्कांसिन, टेक्सॉस, वाशिंगटन, मिनिस्सोटा, वर्जीनिया आदि विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी तथा भारत संबंधी अध्ययन के व्यापक कार्यक्रम शुरू किए गए है। अमेरिकी सरकार ने टेक्सॉस विश्वविद्यालय में हिंदी–उर्दू फ्लेगशिप की परियोजना हिंदी शिक्षण और प्रचार–प्रसार के लिए प्रारंभ की है। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन भाषाविज्ञान के कार्यक्रमों के अंतर्गत, दक्षिणी एशिया केन्द्र, एशिया–अफ्रीका अध्ययन केंद्र, प्राच्य विद्या केंद्र अथवा विदेशी भाषा विभाग के अंतर्गत चल रहा है। इसके अतिरिक्त अनेक संस्थाएँ महानगरों में निजी स्तर पर हिंदी सिखाने का कार्य कर रही

हैं। ये संस्थाएँ भारतीय मूल के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही हैं।

कनाडा का समाज बहुजातीय एवं बहुभाषीय है। कनाडा में हिंदी पढ़ाने के आठ केंद्र बैंकूवर, टोरन्टो, विंडसर, मांट्रियल, रंजीना विश्वविद्यालय आदि हैं। प्रायः सभी प्रमुख शहरों के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। टोरन्टो में हाईस्कूल में अन्य विषयों के साथ हिंदी भाषा की कक्षाएँ भी लगती हैं। ओटावा में मुकुल हिंदी स्कूल की सभी कक्षाओं में हिंदी का अध्ययन–अध्यापन हो रहा है। कनाडा में हिंदी परिषद, क्यूबेक हिंदी संघ, हिंदी लिट्रेरी सोसाइटी, हिंदी विद्यापीठ आदि अनेक संस्थाएँ हैं, जो हिंदी के विकास में कार्यरत हैं।

इस प्रकार विदेशों में हिंदी के प्रचार–प्रसार में अंतरराष्ट्रीय हिंदी समिति, हिंदी साहित्य सभा, हिंदी साहित्य संघ तथा धार्मिक संस्थाएँ हैं। प्रवासी भारतीयों में हिंदी प्रचार–प्रसार का कार्य राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, वर्धा तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग आदि संस्थाएं कर रही हैं।

इस प्रकार हिंदी भाषा का जनपदीय और राष्ट्रीय महत्व के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय महत्व भी है। यह भाषा मॉरिशस, फीजी, सूरीनाम, गुआना, टोबेगो एवं ट्रिनिडाड आदि देशों में बसे भारतीय मूल के जन समुदाय की भाषा है। उस समुदाय ने अपनी सामाजिक–सांस्कृतिक अस्मिता को बनाए रखने के लिए हिंदी भाषा को सुरक्षित रखा है। इन देशों में जो भारतीय प्रवासी लगभग 200 वर्ष पहले गए थे, वे अपने साथ बोलियाँ भी ले गए थे, लेकिन भारत में हुए परिवर्तनों के कारण अब वे शैक्षिक प्रयोजन आदि के लिए मानक हिंदी का प्रयोग करते हैं। यहाँ यह कहना असमीचीन न होगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी शिक्षण तो हो रहा है किंतु इसके लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, योग्य शिक्षक, सुव्यस्थित शिक्षण–सामाग्री आदि की अपेक्षाएँ आवश्यक हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान निर्धारित पाठ्यक्रम पर कार्य कर रहा है तो महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय विदेशों में अध्यापन कर रहे अध्यापकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन भी कर रहा है, लेकिन अभी इस पर सामूहिक रूप से और गंभीरता से विचार–विमर्श करने की आवश्यकता है ताकि हिंदी शिक्षण वैश्विक स्तर पर मानक रूप में प्रतिष्ठित हो।

1764, औट्रम लाइन्स,
डॉ. मुखर्जी नगर,
(किंग्जवे कैंप), दिल्ली – 110009
kkgoswami1942@gmail-com

देवनागरी मात्र

वर्तनी : मानकीकरण

डॉ. उन्मेष मिश्र

भारतवर्ष की अधिकांश जनसंख्या हिंदी का प्रयोग करती है। राष्ट्र के कोने तक भावाव्यक्ति में हिंदी भाषा की बलवती भूमिका है। यही कारण है कि हिंदी भारतीय संस्कृति और आदर्श की संवाहिका है। वर्तमान समाज में हिंदी भारतवर्ष में ही नहीं विदेश में भी दूर–दूर तक प्रयुक्त होती है। ट्रिनीडाड, गयाना, मौरिशस, फिजी और कनाडा आति देशों में हिंदी का आकर्षक रूप में प्रयोग होते हैं। पर्याप्त विस्तृत फलक पर हिंदी के प्रयोग होने से अनेक शब्द–रूप में विविधता आ गई है। यत्र–तत्र शब्द अशुद्ध रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। शब्दों के शुद्ध प्रयोग–चिंतन को 'वर्तनी' नाम दिया जाता है।

'वर्तनी' शब्द का निर्माण संस्कृत की 'वृत्' धातु से हुआ है। 'वृत्' में 'मनि' प्रत्यय के योग से 'वर्त्मनि' शब्द का स्वरूप सामने आया है। सरलीकरण प्रक्रिया में 'म' वर्ण का लोप हुआ और 'वर्तनी' शब्द बन गया है। हिंदी भाषा की शब्दावली में शुद्धता और एकरूपता लाने के लिए वर्तनी पर ध्यान देना अनिवार्य है। 'वर्तनी' शब्द बन गया है। हिंदी भाषा की शब्दावली में शुद्धता और एकरूपता लाने के लिए वर्तनी पर ध्यान देना अनिवार्य है। वर्तनी में कुछ मुख्य तथ्यों पर ध्यान देना होता है–

1. शब्द के शुद्ध–लेखन में किन–किन वर्णा का प्रयो होता है ?

2. शब्द–लेखन में विभिन्न वर्णो का प्रयो होता है?

3. वर्णो के पूर्ण अथवा अर्ध रूप का निर्णय करना होता है।

हिंदी वर्तनी में ध्यान रखने योग्य कुछ प्रमुख संदर्भ इस प्रकार हैं –

1. हलंत प्रयोग

परंपरागत तत्सम शब्दों में अनेक शब्द व्यंजनांत रूप प्रयुक्त होते हैं। अर्थात् ऐसे शब्द के अंत में स्वर न होने से हलंत लगाकर लिखा जाता है, यथा–भगवान् महान्, विद्वान् आदि। हिंदी के जिन शब्दों के अंत में ह्रस्व व्यंजन होता है, उनका उच्चारण व्यंजनांत रूप में ही होता है, यथा–तन् मन्, रात्, राम् आदि इन्हे स्वरांत ही लिखा जाता है–तन, मन, रात, राम आदि। हिंदी शब्दों में एकरूपता रखने के लिए परंपरागत रूप में स्वरांत अर्थात् बिना हलंत लगाए लिखा जाना चाहिए। संस्कृतमूलक शब्दों के विशेष संदर्भ में ही हलंत का प्रयोग करना चाहिए। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा इस संदर्भ में संकेत किया गया है। संस्कृतमूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी में समान्यतः संस्कृत रूप ही रखा जाए, परंतु जिन शब्दों के प्रयोग में हिंदी में हल चिह्न लुप्त हो चुका है, उसाके फिर से लगाने का यत्न न किया जाए।

2. महाप्राणीकरण

हिंदी की महाप्राण ख,घ,छ,झ, आदि ध्वनियाँ अपने से पूर्व प्रयुक्त अल्पप्राण (क,ग,च,ज आदि) धनियों को प्रभावित कर

भाषाएवं राजभाषा के सामाजिक तथा राष्ट्रीय सरोकार

डॉ. जगदीश प्रसाद

आज बड़े–बड़े शहरों में और उनके इर्दगिर्द गगनचुंबी बहुमंजिला इमारतें दिन–ब–दिन इस कदर उभरकर प्रगट हो रही हैं, मानों बरसात के मौसम में खरपतवार बेरोकटोक बढ़ती जा रही हो। आसपास के गाँव इन शहरों में समाकर ऐसे गर्व महसूस कर रहे हैं जैसे छोटी–छोटी नदियाँ किसी महानदी का गौरव पा गई हों। चारों ओर फ्लाई–ओवरों का मकड़जाल–सा बिछा नजर आता है। व्यक्ति की आय बढ़ने के साथ–साथ अल्पावधि में ही उसने सुख–सुविधा के तमाम साधन भी जुटा लिए हैं जिससे उसके जीवन–स्तर में निश्चित रूप से काफी कुछ बदलाव आया है। अतः विकास की बात पर किसी को संदेह नहीं हो सकता। परन्तु इस सब के बावजूद हम सब जानते हैं कि आज समस्त विश्व अनेक गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। जहाँ एक ओर भ्रष्टाचार, आतंकवाद और कमरतोड़ महंगाई ने कोहराम मचाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर, आए दिन सामूहिक बलात्कार घटनाओं ने अनैतिकता की सारी हदें पार कर ली हैं। हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं? क्या यही आधुनिकता अथवा विकास का प्रतिफल होना चाहिए? क्या ऐसे विश्व को सभ्य कहा जा सकता है? ये कुछ ऐसे प्रश्न पर हैं, जिन पर गंभीरता से चिंतन–मनन करने की नितांत आवश्यकता है।

हम सब सहज रूप से इस बात को जानते ही हैं कि मनुष्य के अतिरिक्त सृष्टि में असंख्य जीवधारी हैं और आरंभ में मनुष्य की स्थिति अन्य जीवधारियों से बहुत भिन्न नहीं थी। परन्तु शनै–शनै मनुष्य ने इन सब में अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर ली। इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात रही जिससे वह इसमें कामयाब हो पाया। मेरे विचार में इस सबके पीछे उसकी संप्रेषण–क्षमता थी और इसका प्रमुख साधन थी–भाषा। यद्यपि संप्रेषण के कुछ दूसरे तरीके भी हैं, परन्तु भाषा इनमें सबसे सशक्त माध्यम है। भाषा की अपनी व्यवस्था होती है जिसकी सहायता से संप्रेषणीयता संभव हो पाती है। सुप्रसिद्ध भाषा–वैज्ञानिक डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार, ''भाषा यादृच्छिक ध्वनि–प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी समाज विशेष के लोग परस्पर विचारों का आदान–प्रदान करते हैं।''व्यक्ति के पास भले ही ज्ञान का कितना भी विपुल भंडार क्यूं न हो, परन्तु यदि उसके पास संप्रेषणीयता का कोई साधन नहीं है तो वह कभी प्रगति नहीं कर सकता। अतः मानव के विकास में भाषा की महती भूमिका है।

भाषा और समाज का संबंध

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर ही वह अपनी प्रगति के अनेक अवसर पाता

है और तदनुसार जीवन को तरासने में कामयाब भी हो जाता है। दूसरी ओर, व्यक्तियों के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती अर्थात् व्यक्तियों से ही समाज का निर्माण होता है। अतः समाज और एक–दूसरे के पूरक हैं और साथ ही दोनों अन्योनाश्रित हैं। साथ ही समाज में रहकर व्यक्ति को दूसरों के साथ कार्य–व्यवहार करना पड़ता है। जब उसे दूसरों के साथ कार्य–व्यवहार करना है तो जाहिर है इसके लिए उसे किसी साधन की आवश्यकता अवश्य होगी। प्राथमिक रूप से वह साधन है – भाषा। आमतौर से प्रत्येक समाज की अपनी अलग भाषा होती है जिसके माध्यम से उस समाज विशेष के लोग परस्पर विचार–विनिमय करते हैं। अतः व्यक्ति, समाज और भाषा में अंतरंग संबंध होता है। यदि एक मिनट के लिए हम यह मान लें कि विश्व में कोई भी भाषा नहीं है, तो ऐसे में क्या हम किसी प्रकार की संप्रेषणीयता के बारे में सोच सकते हैं? अगर थोड़ी बहुत संभावना भी हो तो वह कदाचित पर्याप्त नहीं हो सकती। जब संप्रेषणीयता संभव नहीं होगी तो ज्ञान का प्रचार–प्रसार होना मुमकिन नहीं और जब ज्ञान का प्रचार–प्रसार नहीं होगा तो विकास के बारे में कैसे सोचा जा सकता है। अतः विकास के इस तमाम वर्चस्व के पीछे भाषा की भूमिका असंदिग्ध है। परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि विकास की चकाचौंध में आज व्यक्ति ने भाषा के महत्त्व को लगभग नकार–सा दिया है। मेरी समझ से आज विश्व जिन भयानक चुनौतियों से जूझ रहा है, उसके पीछे यह भी एक अहम कारण है। केवल अभियांत्रिकी, चिकित्सा अथवा प्रौद्योगिकी को अपनी सर्वाधिक उपयोगीप्राथमिकताएँ मानकर यकायक बुलंदियों को छू लेना आदमी की नियति जान पड़ती है। शायद यही वजह है कि आज वह डॉक्टर, इंजीनियर, प्रविधिज्ञ तो बन रहा है, परन्तु मनुष्य बनना उसने कहीं भुला दिया है। इस संबंध में जरा चिंतन–मनन करने पर कुछ इस प्रकार का बोध होता है –

- विज्ञान हमें वैज्ञानिक बनाता है;
- चिकित्साशास्त्र हमें चिकित्सक (डॉक्टर) बनाता है;
- अर्थशास्त्र हमें अर्थशास्त्री बनाता है;
- अभियांत्रिकी हमें अभियंता बनाती है;
- प्रौद्योगिकी हमें प्रविधिज्ञ बनाती है;
- परन्तु भाषा हमें मनुष्य बनाती है।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भाषा, संस्कृति की संवाहक होती है। किसी समाज के रहन–सहन, खानपान, उसकी परिवेशगत विशेषताओं के साथ–साथ जीवन–मूल्यों का दर्शन हमें उस समाज की भाषा के साहित्य में व्यापक रूप से होता है। यकीनन जीवन–मूल्य ही मानव समाज को दिशा प्रदान करते हैं। इनसे जीवन में अनुशासन एवं

संतुलन बना रहता है। इसके ठीक विपरीत जब जीवन–मूल्यों की अवहेलना होती है तो कहीं–न–कहीं भटकाव की स्थिति उत्पन्न होने लगती है जो उस समाज विशेष के लिए निश्चित रूप से घातक साबित होती है। आज 21वीं सदी के तथाकथित उन्नत दौर में बारंबार जब हम ऐसी घिनौनी एवं रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं से रूबरू होते हैं तो ऐसे समाज के सभ्य होने पर संदेह होना स्वाभाविक है। अतः इस विषय में गंभीरता से आत्ममंथन करने की नितांत आवश्यकता है।

कोई भी बुराई अथवा नकारात्मक प्रवृत्ति यकायक नहीं पनपती है। साथ ही विभिन्न तत्त्व एवं परिस्थितियाँ इसके लिए उत्तरदायी होती हैं। परन्तु आमतौर पर किसी एक तपके के सिर जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ दिया जाता है। सामाजिकीकरण की प्रक्रिया और शिक्षा व्यवस्था की इसमें महती भूमिका हो सकती है। सामाजिकीकरण की प्रक्रिया पर गौर करने से ज्ञात होता है कि भौतिक प्रगति मनुष्य की सर्वप्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है। नैतिकता और जीवन–मूल्यों से किसी का कोई सरोकार नज़र नहीं आता। मानो लोगों के पास इन सबके लिए वक्त ही न हो, या फिर ये सब चीज़ें उन्हें फिजूल की बातें लगती हैं। कुछ–कुछ ऐसी ही दशा एवं दिशा हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का भी है। पेशेवर शिक्षा जैसे इंजीनियरी, डॉक्टरी अथवा प्रौद्योगिकी की ओर पूरी ऊर्जा लगाई जा रही है। माता–पिता अथवा अभिभावकजन अपने बच्चों को पुरजोर इन्हीं में धकेल रहे हैं। भाषा एवं साहित्य को लगभग नकार–सा दिया गया है। परंतु यदि हम सचमुच सभ्य समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें भाषा एवं साहित्य को अवश्य महत्त्व देना होगा।

राजभाषा की अवधारणा

राजभाषा की अवधारणा को आज तक हम पूरी तरह समझ पाए हों, इसमें संदेह है। अक्सर राजभाषा और राष्ट्रभाषा के प्रति अधूरी समझ ही देखने को मिलती है। अतः सर्वप्रथम इस भ्रामक स्थिति को दूर करना उचित होगा। 'राष्ट्रभाषा' किसी राष्ट्र की जनसंख्या के व्यापक भाग द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा होती है। जहाँ तक 'राजभाषा' का प्रश्न है, यह उस देश अथवा राज्य के शासन द्वारा राजकाज में प्रयुक्त की जाने भाषा होती है। आमतौर पर किसी भी देश में एकाधिक भाषाएँ प्रचलित होती हैं। इसलिए राजभाषा का चयन करना इतना सहज नहीं होता। किसी भी देश अथवा राज्य में राष्ट्रभाषा अथवा राजभाषा एक अथवा एक से अधिक भी हो सकती हैं।

- आजकल विश्वभर में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का ही बाहुल्य है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 'जनता का', 'जनता के लिए', 'जनता के द्वारा' शासन ही लोकतंत्र का मूलमंत्र हैं। जब शासन और जनता के बीच सीधा संबंध है तो जाहिर है कि शासन और जनता की भाषा भी एक होनी चाहिए। यही राजभाषा की अवधारणा का आधार है। चूंकि

हमारे देश में कई वर्षों तक विदेशी शासन रहा है, अतः शासन की भाषा भी तदनुसार विदेशी भाषा ही रही। 15 अगस्त 1947 को जब सत्ता की बागडोर हमारे हाथों में आई तो इस विषय में गंभीरता से चर्चा–परिचर्चा हुई। बहुभाषी देश होने की वजह से किसी एक भाषा को राजभाषा के रूप में चुनना बड़ा चुनौतीपूर्ण था। परन्तु तमाम विचार–विमर्श के पश्चात संविधान ने दिनांक 14 सितम्बर, 1949 को एकमत से हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही देश में राजभाषा नीति का आगाज हुआ और धीरे–धीरे इसका स्वरूप विकसित होता चला गया। भारतीय संघ की राजभाषा नीति के प्रमुख आधार इस प्रकार हैं:–

- सांविधिक प्रावधान (अनुच्छेद 120, 210, तथा 343–351)
- राजभाषा अधिनियम 1963 (यथासंशोधित 1967)
- राजभाषा संकल्प 1968
- राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए) नियम 1976 (यथासंशोधित 1987)
- राष्ट्रपति के आदेश

चूंकि संविधान के अनुसार राजभाषा के कार्यान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार पर है, इसलिए भारत सरकार का राजभाषा विभाग वार्षिक कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिवर्ष राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी लक्ष्य निर्धारित करता है। इसके साथ ही सरकार द्वारा समय–समय पर राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं। विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों, यथा–कार्यालयीन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, हिंदी सलाहकार समिति, केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, संसदीय राजभाषा समिति, आदि के द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन का अनुश्रवण किया जाता है। इसके अतिरिक्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम सरकारी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन किया जाता है और उसमें यथावश्यक सुधार हेतु सुझाव भी दिए जाते हैं। इस प्रकार एक पारिभाषित व्यवस्था के तहत राजभाषा कार्यान्वयन का कार्य सम्पन्न किया जाता है।

यद्यपि सरकारी स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में हर संभव प्रयास किया जा रहा है, परन्तु इसमें यथापेक्षित शत–प्रतिशत सफलता मिलना अभी शेष है। इसके पीछे कई कारण देखे जा सकते हैं। जहाँ एक ओर इसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं, वहीं दूसरी ओर, कहीं–न–कहीं व्यक्ति अथवा व्यवस्था के स्तर पर इच्छा–शक्ति की कमी भी देखने को मिलती है। भाषा तथा राजभाषा को लेकर देश में राजनीति भी हुई है। परन्तु इस विषय पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। यदि देशभर में राजकाज के लिए किसी एक भाषा का प्रयोग किया जाए तो यह राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से काफी

कारगर साबित होगा। शासन और जनता के बीच संपर्क सुलभ होगा जिससे बेहतर समन्वय की संभावना बढ़ेगी। इसके लिए हमें निजी स्वार्थ की अपेक्षा राष्ट्रहित को महत्त्व देना होगा। अतः हमें भाषा एवं राजभाषा के सामाजिक तथा राष्ट्रीय सरोकारों को सही मायनों में समझने की आवश्यकता है।इस संदर्भ में प्रसिद्ध कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र की उक्ति ''निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल'' को हमें कदापि विस्मृत नहीं करना चाहिए।

हिंदी अधिकारी
(एवं जनसंपर्क अधिकारी)
केंद्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा

फिल्म भाषा की आर्थी संरचना

डॉ. दिलीप सिंह

अब भाषा वैज्ञानिक स्तरों पर फिल्म भाषा का गहनता के साथ विचार करना अनिवार्य–सा लगने लगा है। इसका एक कारण तो यह है कि आज का भाषा विज्ञान उन दृष्टिकोणों से पूरी तरह लैस है, जिनकी सहायता भाषाबद्ध कलारूपों के अध्ययन के लिए ली जा सकती है। एक ओर भाषाविज्ञान सस्यूरियन सिद्धांत से संपन्न है, तो दूसरी ओर समाजभाषिकी स्तर पर भी वह बहुमुखी ढंग से विकसित है। कहा जाए कि आधुनिक भाषाविज्ञान अब केवल 'भाषाव्यवस्था' तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके अनेक आयाम अनेक दिशाओं में विकास पा चुके हैं।

यदि हम फिल्मों की भाषा का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहें, तो उसमें उस कोटि की स्तरीयता ला सकते हैं कि वह फिल्म भाषाविज्ञान के नाम से अभिहित किया जा सके। यह तो हम महसूस करते ही हैं कि फिल्मों में भाषिक विधान के सभी भेद और स्तर समाहित होते हैं अतः वह एक भाषिक कला है। सस्यूर ने भाषा अध्ययन की आधुनिक सूझ देने के साथ ही हमें भाषा के संकेत विज्ञान (सिमियोटिक्स) संबंधी अध्ययन के व्यापक आधार भी दिए। अब हम यह भी कह सकते हैं कि फिल्म एक संकेतविज्ञान संबंधी कला भी है। सस्यूर के साथ और उनके बाद भी ऐसे कई भाषाविद् आए जिन्होंने भाषा को उसके आंतरिक गठाव के परिप्रेक्ष्य में देखने का यत्न किया। यहीं से भाषा की भीतरी सतह पर दो तरह के गठाव देखना संभव हुआ – एक तो भाषा से परे उस व्यवस्था का गठाव जिसके भीतर कविता, लोक साहित्य, मिथ आदि समाहित हो जाते हैं। यही एक व्यवस्थापरक गठाव की भी बात कर दूँ जो भाषिक और भाषेतर संप्रेषण के बीच एक पुल का काम करता हैँ जैसे– विनम्रता, नाते रिश्ते, पद–पदवी और हमारी प्रवृत्तियाँ (Attitudes) भी। कहना न होगा कि फिल्म भाषा के गठाव के ये सारे स्तर मौखिक और चाक्षुष–दोनों ही तरह से अत्यंत संतुलित ढंग से घुलेमिले रहते हैं। सस्यूर ने अत्यंत विश्वास के साथ यह कहा था कि संकेतविज्ञान संबंधी भाषा के अध्ययन को यदि शाब्दिक कलाओं के माध्यम से परखा जाए तो उत्तम से उत्तम हैं। यह उल्लेखनीय है कि साहित्य अध्ययन में शैली वैज्ञानिक प्रविधियों का विकास सस्यूर के इसी विश्वास का परिणाम है।

इस भूमिका की पृष्ठभूमि में यदि बात की जाए तो यह कहा जा सकता है कि सिनेमा को भाषावैज्ञानिक धरातल पर देखते समय हमें दो छोरों की यात्राा करनी होती है। एक छोर भाषिक संरचना के रूप में सिनेमा और दूसरा शाब्दिक भाषा से इतर भाषिक प्रयोग को साधने वाला सिनेमा। हम यह जानते हैं कि एक सामान्य सिनेदर्शक के लिए सिनेमा मनोरंजन का साधन है। ऐसा भी संभवतः इसीलिए है कि फ्रिफल्म भाषा हमें अपने संकेत

से विभोर करती है। हम यह भी जानते हैं कि फिल्म का गंभीर समीक्षक इतनी आसानी से इन संकेतों से प्रभावित नहीं होता। वह यह भी जानना चाहता है कि कोई सिनेमा कहानी कहता कैसे है। उसके कहने में और किताब में छपी कहानी के कहने में क्या अंतर है अर्थात् सिनेमा का आख्यान सामान्य आख्यान से भिन्न कैसे हो जाता है, निस्संदेह ये प्रश्न फिल्म भाषा की आर्थी संरचना से जुड़े हुए प्रश्न हैं। यदि हम हिंदी फिल्मों की बात करें तो फिल्म आख्यान के ढेरों पाठ हमें मिलते हैं। फिल्में इनमें से कुछ पाठों का फार्मूला भी बनाती हैं। ऐसा सामान्यतः लिखित पाठ नहीं कर पाता। कैसे फार्मूला दर्शकों द्वारा स्वीकार्य हो जाता है ? कैसे वे बार–बार एक ही तरह के प्लॉट और ट्रीटमेंट से ऊबते नहीं ? इन प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि हम सिर्फ फिल्म देखने नहीं जाते, हम एक खास तरह की कहानी का प्रस्तुतीकरण देखने जाते हैं। फ्रिफल्म भाषा में यह प्रस्तुतीकरण ही उसका आर्थी पक्ष (Sementics) है।

कैसे बनता है यह आर्थी पक्ष ? भाषावैज्ञानिक दृष्टिकोण ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है सिनेमा के दो घटक भाषाई दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं। एक–सिनेमा और वाक्य विज्ञान और दो– प्रतीक और वाक्य विज्ञान। प्रतीक को हम, चाहें तो, कल्पना के सूत्र या बिंब भी कह सकते हैं, क्योंकि सिनेमाई भाषा किस तरह कई अन्य रूढ़ियों को तोड़ती है, हमारी कई धारणाओं को भी तोड़ती है। अब हमें यह धारणा बनानी होगी कि फिल्म के संदर्भ में कोई भी प्रतीक एक 'शब्द' है और कोई 'सीक्वेंस' एक वाक्य। यही कारण है कि सिनेमा में कभी–कभी प्रतीक एक या एकाधिक वाक्यों का प्रतिनिधित्व करता है। एक बात और जोड़ दूँ कि फिल्म में सीक्वेंसों का समूह प्रोक्ति का ही जटिल ढंग से आबद्ध खंडक्रम (Segmental Sequence) है।

फिल्म प्रोक्ति को बनाने में एक प्रक्रिया का तकनीकी और कलात्मक दोनों दृष्टियों से सर्वाधिक महत्त्व होता है – संपादन (Editing) जो सिने अभिव्यक्ति को अर्थवान और क्रमबद्ध पाठ में बदल देता है। रचना प्रक्रिया में यही काम कवि पंक्ति–पंक्ति के साथ करता है। यानी संपादन फिल्म की शैली को उभार देता है। कुछ निश्चित शॉट्स का चयन, एक निश्चित क्रम में उनका जुड़ाव एक निश्चित सांचे में उनका वितरण और कहीं–कहीं एकदम विपरीत सा अर्थ देने वाले शॉट–संयोजन यह स्पष्ट करते हैं कि जिस तरह हम किसी रचना के संकेतार्थ तक पहुंचने के लिए चयन, वितरण, विचलन और समानांतरता की बात करते हैं, वैसा ही कुछ फिल्म संपादन करता है। इस प्रकार संपादन फिल्म की सृजनात्मकता अथवा आर्थी संरचना की उभारने की प्रक्रिया है। यह भी कहा जा सकता है कि फिल्म संपादन फिल्म पाठ निर्माण की वह विधि है जो फिल्म के साथ संलग्न होने में हमारी मदद करती है। अर्थ के स्तर पर समय, घटनाक्रम और गति का अर्थगत संप्रेषण संपादन के द्वारा ही सिद्ध होता है। फिल्म की आर्थी संरचना का उत्स संपादन है। हिंदी फिल्मों में बिमल रॉय, विजय आनंद, राजकपूर और हृषीकेष

मुखर्जी अपने संपादन–कौशल के लिए ख्यात हैं।

फिल्म भाषा हमेशा विन्यासक्रमात्मक (Syntagmatic) होती है, क्योंकि वह हमें ध्यानमग्न भी करती है और अपने विचार भी हम तक पहुंचा देती है। इसमें संदेह नहीं कि मग्न करने और प्रेषण के लिए फिल्म एक कहानी का सहारा लेती है। भारतीय सिनेमा में तो आप जानते ही हैं कि कहानी का अपना अर्थशास्त्रा (Semeology) है। हमारी फिल्मों में तो यहाँ तक होता है कि प्लॉट उन कई घटकों को पीछे ढकेल देता है जिन्हें हम सिनेमा के लिए जरूरी मानते हैं। सिनेमा प्लॉट बुनता है इसीलिए सिनेमा हमेशा एक कहानी पहले है इमेज बाद में। सामान्य आदमी कहानी देखने जाता है। वह बैनर और कलाकारों को देखकर ही यह अंदाजा लगा लेता है कि कहानी क्या होगी। सिनेमा देखते समय भी उसके मन में मूल प्रश्न यही उठता है कि आगे क्या होगा। अतिशयोक्ति न की जाए तो यह कहा जा सकता है कि सिनेमा कुछ प्रतीकों में आबद्ध एक कहानी है।

आपने देखा कि सिनेमा एक व्यापक विषय है जिसके भीतर कई दिशाओं से प्रवेश किया जा सकता है। यदि इसे एक 'पाठ' या कहें 'पूर्णता' में देखा जाए तो सबसे पहले यह एक तथ्य है – एक ऐसा तथ्य जो सौंदर्यशास्त्रीय और अर्थशास्त्रीय और समाजशास्त्रीय (Sementics) जैसी संरचनाओं से आप्लावित रहता है। गहन पाठ के स्तर पर यह प्रत्यक्षण (Perception) और (Intecelection) के मनोविज्ञान का भी सम्मिश्रण है। एक ओर निर्देशक की दृष्टि से तो दूसरी ओर दर्शक की दृष्टि से। पाठ के स्तर पर सिनेमा अच्छा या बुरा नहीं होता, वह सिर्फ और सिर्फ एक पाठ होता है। सिनेमाई कौशल की कुछ चीजें उनमें कम–ज्यादा हो सकती हैं पर अपने आपमें वह ''ए पीस ऑफ्रफ सिनेमा'' होता है। रोलां बार्थ ने शायद इसीलिए सिनेमा को पिक्चर–रोमांस की संज्ञा दी थी। उनकी दृष्टि में 'छायांकन' सिनेमा की आर्थी संरचना में भी प्रकाश व्यवस्था नए–नए और ढेरों कोण उत्पन्न करती है। सिनेमाई भाषा के शब्द, पद, उपवाक्य और वाक्य का जमावड़ा रोशनी से ही संभव बनता है। फिल्म में लाइट दर्शकों के पहले से जाने बूझे दृश्यों का भी मोहताज बनाती है। भाषावैज्ञानिक शब्दावली में कहें तो प्रकाश फिल्म की रंजक क्रिया है, क्योंकि यह उसके मूड, परिवेश, और संकेतों को दर्शकों तक उन्हें स्तब्ध कर देनेवाली दशा तक पहुंचाती है।

अब फिल्म भाषा पर कुछ सामान्य बातें सिनेमा में भाषिक स्तर पर भाषिक तत्त्वों के भी अलग–अलग पैमाने अलग–अलग फिल्में बनाती हैं। वास्तव में ये आर्थी संरचना के ही पैमाने हैं जिन्हें दर्शक पहचानता भी है और इनका अर्थ भी समझता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि फिल्म हर प्रकार के संप्रेषण को सिद्ध करनेवाली कला है। कुछ फिल्म दिखावटी, बनावटी या नाटकीय और लाउड होती हैं जैसे हिंदी फिल्म पैगाम। कुछ बहुत ही कोमल, मुलायम और संवेदनशील जैसे–सुजाता। कुछ अत्यंत परिष्कृत जैसे–चित्रालेखा। कुछ जो शोर और शांति का इस्तेमाल करती हैं, जैसे – बंदिनी और

दीवार। कुछ जो संगीत को आर्थी संरचना अथवा इस विस्तार के लिए इस्तेमाल करती हैं जैसे – सीआईडी, चौदहवीं का चांद, कानून। और कुछ जो बहुत कम बोलती हैं पर दृश्य के सहारे बोलने से ज्यादा कहती हैँ जैसे–अनुपम। कुछ फिल्मों में आर्थी संरचना के अनेक तरीक अपनाए जाते हैं –दरवाजे का आवाज के साथ खुलना, (वह कौन थी), प्लेट में चम्मच की आवाज (आवारा), रेल की सीटी की आवाज (पाकीजा), कराहने या विलाप करने की आवाज (दो आंखें बारह हाथ) हंसी (तीसरी कसम) चीख (मधुमती) इत्यादि। ये सभी सिनेमाई भाषा की और सिने संरचना के आर्थी पक्ष की अलग–अलग प्रविधियाँ हैं।

सिनेमा का एक नृतत्वशास्त्रीय पक्ष भी है। इस धरातल पर फिल्मों में कुछ निश्चित भाषिक फार्मूले, मुहावरे, दृश्यबंध, प्रकाश व्यवस्था या संगीत के टुकड़े होते हैं। ये सिनेमाई अर्थ तंत्र की सतह की सतह पर ही दिखाई देने लगते हैं। चॉम्स्की के शब्दों में कहें तो यह फिल्म भाषा की बाह्य संरचना है। आंतरिक संरचना के स्तर पर फिल्म जब हमें सकते में डाल देती है या जब सतही अर्थ या दृश्य बंध के पीछे जटिल अर्थ संभावनाएँ हमें टटोलने लगती हैं, तब आंतरिक संरचना की टोह ली जा सकती है।

फिल्म यथार्थ को धारण करनेवाली कला है, यह मानने में काफी समय लगा। यथार्थ की जटिलताएँ दर्शक तक कैसे पहुँचेगी–यह प्रश्न एक अरसे तक चर्चा के केंद्र में रहा। फिल्म भाषा ने इस संदेह को दूर ही नहीं किया बल्कि आंतरिक संरचना के सहारे यथार्थ के तुड़े–मुड़े या विचलित रूप को भी सामान्य दर्शक के लिए अर्थवान बना दिया। ग़ज़ब की कला है फिल्म। भाषाविद् अल्बर्ट लैफे ने इसकी इस अद्वितीयता को समझकर ही यह कहा होगा कि ''इतना सजीव रूप है सिनेमा यथार्थ का जितना होने की अपेक्षा किसी उपन्यास, नाटक या मूर्त पेंटिंग से नहीं की जा सकती।'' सिनेमा की आर्थी संरचना का और उसकी ग्रहणशीलता का भी सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि फिल्म दर्शक को सहभागी बना लेती है–शुरु होते ही। हम पूरी तरह किसी भी फिल्म से लगातार नहीं ऊबते। उसके कई हिस्से हमें पकड़ते, झकझोरते हैं। कोई–कोई तो पूरी फिल्म ही आद्यंत अपनी आर्थी संरचना में हमें लपेटे रहती है जैसे–'दो आँखें बारह हाथ।' वह हमसे कहती है कि 'ऐसा ही है' और हम मान भी लेते हैं क्योंकि अपनी बात वह ऐसी भाषा में रखती है जिसे भाषाविद् पूर्णतः निश्चयात्मक Fully Assertive भाषा कहते हैं।

अतः कोई संदेह नहीं कि फिल्म उच्चार या उक्ति प्रधान (Uttered) प्रोक्ति है। जब फिल्मों ने बोलना सीखा था तो वे खूब बोलती थीं, जरूरत से ज्यादा भी बोलती थीं। उनमें तरह–तरह के शब्दों, वाक्प्रकारों, सजे–धजे भाषारूपों का प्रयोग किया जाता था। उनमें एक ओर संवादों की टकराहट होती थी, तो दूसरी ओर इन संवादों की नाटकीय अदायगी, अर्थात् संवाद या बातचीत फिल्म भाषा का अभिन्न अंग है।

आर्थी संरचना के अन्य घटकों की तुलना में संवाद फिल्म कथानक के कई रहस्य

खोलते हैं। एक समय था, जब पृथ्वीराज कपूर, सोहराब मोदी, राजकुमार, दिलीप कुमार और देवआनंद के संवाद अपनी अदायगी से फिल्म की अर्थवत्ता को द्विगुणित करने में अपना भरपूर योगदान देते थे और बाह्य संरचना के स्तर पर दर्शकों की तालियाँ भी बटोरते थे। अब यह कहा जा सकता है कि सिनेमा की अपनी भाषा व्यवस्था होती है। होती ही भर नहीं, फिल्में भाषा व्यवस्थाओं का सृजन भी करती हैं। व्यवस्थाओं का इसलिए कि उन्हें अलग–अलग तरह के संदेशों को अपने दर्शकों तक पहुंचाना होता है। इसलिए फिल्म भाषा एक–सी नहीं होती। वह अनेक लचीले रूपों और कलाकृतियों में बोलती है। हिंदी सिनेमा में इस दृष्टि से मदर इंडिया, अंदाज, संगम, चौदहवीं का चाँद जैसी फिल्में हैं जो अलग –अलग तरह से बोलकर न जाने कितने उथले–गहरे संदेश दर्शकों तक प्रेषित कर देती है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि बोलने ने सिनेमा को वास्तविक भाषाई कला का दर्जा दिलवाया है। इस तरह सिनेमा कला की भाषा है। अभिव्यक्ति के उसके अपने रूप और अपने नियम भी हैं जिसके भीतर प्रतीक, वाक्, संगीत और शोर ;आवाजद्ध का चकित कर देनेवाला संयोजन होता है।

यहाँ थोड़ी बात संगीत और ध्वनि (Sound) की कर ली जाए। दोनों ही फिल्म के भाव, परिवेश और घटना को ही नहीं, उसके अर्थ को भी नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं। खुशी, गम, आनंद, प्यार, ङृंगार का अर्थ फिल्में ध्वनि के माध्यम से भी खोलती हैं। ध्वनि या संगीत फ्रिफल्म की लय या गति का पता भी हमें देते हैं। हिंदी फिल्मों में वाद्ययंत्र न जाने कितने अर्थो की सघन संरचना करते हैं और दर्शको को ऐसा बांधते हैं कि फिल्म भाषा में वे रूढ़ि तक बन जाते हैं। दुःख या शोक के अर्थ को शहनाई या सारंगी का स्वर उत्कर्ष पर पहुंचा देता है। सितार प्रसप्रता और आनंद को अर्थ देनेवाला साज़ है। वायलिन, पियानो, रोमांस की तस्वीर खड़ी कर देते हैं तो माउथ आरगन मस्ती और जोश की। इस तरह यदि फिल्म प्रतीकबद्ध प्रोक्ति मानी जाए तो प्रतीकों के उद्घाटन में ध्वनि और संगीत की भूमिका कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। फिल्म प्रोक्ति के बिना बमुश्किल ही रची जा सकती है। ध्वनि सिनेमाई अर्थ को सीधे–सीधे पहुंचाने में समर्थ होती है।

फिल्म पात्रों के भीतर भिन्न पाठांश होते हैं जिन्हें 'मोड' (Mode) कहा जा सकता है। यह मोड प्रत्यक्षण, प्रभाव और लोकप्रियता की संभावनाओं से बनता है। कई फिल्में लंबी अवधि तक लोकप्रिय बनी रहती हैं तो अपने पाठांशों के सही पाठ में अंतरित होने के कारण। कभी–कभी कोई फिल्म लोकप्रियता के मोड़ पर खरी नहीं उतरती, लेकिन उसका भी दर्शकवर्ग होता है – (तीसरी कसम) लेकिन ऐसा तो किसी साहित्यिक कृति या संगीत रचना के साथ भी होता है– तो सिनेमा को इससे कैसे अलग किया जाए और क्यों ? एक सिनेमा परिष्कृत समाज के लिए बनता है, तो दूसरा आम लोगों के लिए। इन दोनों के बीच समानांतर सिनेमा भी खड़ा है। अतः सिनेमा का दायित्व जहां समाज सांस्कृतिक संबधता से बंधा है वहीं 'मास अपील' से, या आम लोगों की इच्छा और आकांक्षाओं से भी। यही वजह है कि फिल्म भाषा अपने ढांचे में भी बहुरूपी है और अपनी

आर्थी संरचना में भी।

फिल्म का सौंदर्यशास्त्र निजी है जो यथार्थ भी है और काल्पनिक भी। सिनेमा भाषा इन दोनों को ऐसा बना देता है कि ये हमें आश्वस्त भी करें और भरोसा भी दिलाएँ। सिनेमा पूरी संकेतक अथवा संकेतन विज्ञान संबंधी अर्थाभिव्यक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण है।

कहने का तात्पर्य यह है कि सिनेमा में वह सारी 'भाषिकी' समाहित होती है जिनमें से कई के बारे में हम यह सोचते हैं कि वे उसका हिस्सा क्यों हों ! भाषा संसार की इस बृहत् हिस्सेदारी को अपना कर ही फिल्म भाषा 'अपनी तरह की' भाषा का रूप धारण करती है। यह बात और है कि हमने हमेशा इसे कम करके आँका है। आज भी हम फिल्मों या उसके गीतों की भाषा पर बात करते कतराते हैं जबकि इसे एक विशिष्ट भाषा व्यवस्था मानकर देखा जाना चाहिए। एक बार फिर से भाषा व्यवस्था के संदर्भ में सस्यूर को यहाँ उद्‌धृत कर लें – "A Language system (Language) is highly organized code. Language itself covers a much broader area. Language is the sum of Langue plus Speech (Parole)."

कहना न होगा कि फिल्म भाषा भाषा व्यवस्था के इस सस्यूरियन सिद्धांत पर एकदम खरी उतरती है। वह इसके ऊपर भी जाती है और प्रतीक सिद्धांत पर पहुंचती है। तभी तो अर्थिम (Sememe) की रचना भी वह कर डालती है। यह काव्यमय भाषा का भी प्रयोग करती है, बोलचाल की भाषा का भी और भदेस का भी। कहा जाए कि सिनेमा ने अपने अर्थिमिक प्रयोग क्षेत्र (Semic Domains) खुद गढ़े हैं और भाषा समृद्धि का, भाषाबोध का, भाषा समझ का इतिहास रचा है।

अंत में, थोड़ी सी बात फिल्म प्रोक्ति पर जरूरी लगती है। फिल्म प्रोक्ति एक पूरी प्रक्रिया या प्रोसीजर से बनती है। इस तरह की समन्वित प्रक्रिया से अन्य कलाओं का निर्माण नहीं होता। कुछ प्रक्रियाए रूढ़ भी होती हैं लेकिन अधिकतर दर्शक में अंतर्भुक्त अर्थस्वभाव से गढ़ी जाती है। हिंदी में 'जागते रहो', 'बंदिनी', 'आन', 'मिस्टर एंड मिसेज 55' की प्रोक्ति दर्शक को अपने में अंतर्भुक्त कर लेती है – इतना कि वह प्रोक्ति घटकों का पूर्वानुमाने तक करने लगता हैं क्योंकि वह फिल्म की प्रोक्ति को समझता है, इसीलिए फिल्म को भी समझ पाता है। फिल्म की बोधगम्यता और संप्रेषणीयता का भी यही कारण है। लिखित साहित्य ऐसा कम कर पाता है। अच्छी फिल्में हमेशा प्रोक्ति की वाक्यावली को फिल्मिक बना देती हैं, ऐसा केवल कला फिल्में ही नहीं करती मसाला फिल्में भी करती हैं। बाज़ी, शोले, कोहिनूर जैसी फिल्मों को इस संदर्भ में देखा जा सकता है। गिलबर्ट कोहेन ने सच ही कहा है कि ''The Language of film will always have the advantage of being already entirely written out in actions, in music, in cuts and in passion important to us, the viewers." -Theater and Film

आखिर में एक बात और कह दूं कि कोई भी फिल्म हमसे कुछ–न–कुछ कहना चाहती है, कहती भी है। कुछ फिल्में कम कह पाती हैं, उतना या वह नहीं कह पातीं जो कहना चाहती हैं, पर उन्हें कहने दीजिए, क्योंकि किसी फिल्म का एक दृश्य या एक दृश्यबंध, कोई गीत या कोई गीत का फिल्मांकन अपने आप में दर्शनीय होता है, कौतुक उत्पन्न करता है। हम यह जान लें कि फिल्म घटना प्रधान होती है और भिन्न कलाओं का श्रेष्ठतम सम्मिश्रण भी। सिनेमा हमेशा यह कोशिश करता है कि वह जीवन या विचारों को जस–का–तस न रखे, उन्हें संकेतित करे। वह वहीं तक न सिमटे जो पहले से अर्जित है, या कालसूचक (Temporal) और देशसूचक (Spatial) है। वह इन सबको लेता है लेकिन अर्थीय घटकों की अपनी व्यवस्था के तहत।

इसमें क्या संदेह है कि सिनेमा जीवन नहीं है, वह एक सर्जनात्मक और दर्शनीय कला है।

कुलसचिव
उच्च शिक्षा एवं शोध संस्थान
दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, चेन्नै

हिंदी : वर्तमान संदर्भ

डॉ. अमित कुमार

भाषा मनुष्य के लिए इतनी जरूरी है, जितनी हवा–पानी। भाषा से हमारा अभिप्राय यहां केवल लिपि चिह्नों से ही नहीं है। भाषा एक माध्यम है अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाने का। यह माध्यम किसी भी रूप में हो सकता है–मौखिक, लिखित या सांकेतिक। भाषा के आधर पर ही यह संभव हुआ है कि हमने ज्ञान के विभिन्न आयामों की खोज की है और निरंतर अपना विकास किया है।

भाषा मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है। यह जुड़ाव यदि अपनी भाषा में हो तो अभिव्यक्ति के अनेक द्वार खुलते हैं। अपनी भाषा से यहां अभिप्राय निश्चित रूप से मातृभाषा से है। मातृभाषा हममें जन्म से ही संस्कार डालती है। हर आदमी के लिए उसकी अपनी भाषा विशिष्ट होती है। इसलिए कि आदमी की जड़ें अपनी भाषा में होती हैं। भारतेंदु जी ने भी बहुत सोच–विचार कर ही यह कहा था–

‘निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।

बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल।।’

आज चहुं ओर वैश्वीकरण के प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हमारे सामने भाषा को बचाने के लिए अध्कि चुनौतियां दिखाई पड़ती हैं। ‘भूमंडलीकरण की प्रव्रिफया बाज़ार की प्रव्रिफया है और बाजार भाषाओं के प्रसंग में बहुलता के बदले एक भाषा के विस्तार को प्रश्रय देने वाला होता है। इसलिए सारी दुनिया की बोलियां और भाषाएं भूमंडलीकरण की आंधी में अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही हैं।’ इस समय ‘भूमंडलीकरण ने भाषाओं के क्षेत्रा में एक संसारव्यापी संकट खड़ा किया है। वह संकट है अंग्रेजी के गुपचुप इंटरनेटी रास्ते विश्वभाषा और बाकी भाषाओं को हाशिए पर डालने का। इसे लेकर यूरोप में और अन्यत्रा भी चिंता व्याप्त है। जरूरत इस बात की है कि हम संकट और उसके पफलितार्थों को स्पष्टता से समझें।’ यही कारण है कि आज विश्व में बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं, जो अपने को बचाने के लिए संघर्षरत हैं। ‘भाषा वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी सारी दुनिया में छह–सात हजार तक भाषाएं हैं। लेकिन अगर भूमंडलीकरण के माध्यम से अंग्रेजी के विश्व विजय का अभियान अपनी वर्तमान गति से चलता रहा तो इक्कीसवीं सदी के अंत तक दुनिया की छह–सात भाषाओं में से आधी

भाषाएं अर्थात् लगभग तीन हजार से अध्कि भाषाएं मर जाएंगी। एक भाषा का मरना, एक जीवन–पद्धति, भावों और विचारों की एक दुनिया और एक संस्कृति की मौत होती है।'

भाषाओं के लिए सबसे बड़ी चीज होती है, वह है आत्मनिर्भरता। यह जरूरत तभी पूरी हो सकती है जब भाषा में समय के साथ चलने की क्षमता हो। भाषा किसी भी तरह से संकुचित नहीं होनी चाहिए। भाषा का लचीलापन ही उसे अंततः समृद्ध करता है। भाषा का निरंतर विकास ही उसे अन्य भाषाओं से अलग करता है। इतिहास साक्षी है कि जिन भाषाओं ने अपने को प्रयोग संदर्भ में कठोर रखा, वे कभी भी जन–जन से नहीं जुड़ पाईं और अतीत की वस्तु होकर रह गई।

अच्छी बात यह है कि हिंदी एक समृद्ध भाषा है और आत्मनिर्भर भी। यह तभी संभव हो पाया है जब वह आम जन के साथ जुड़कर चली है। आज हिंदी में ढेरों शब्द किसी भी जगह की लोक बोलियों से लिए गए दिखते हैं। इन शब्दों को जान–बूझकर किसी ने नहीं ठूंसा है। यही कारण हैं कि 'भारत तथा पाकिस्तान के अलावा हिंदी–उर्दू को अपनी मातृभाषा मानने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में इन देशों में रहते हैं– 1. बंगला देश 2. नेपाल 3. मारिशस 4. पफीजी 5. गयाना 6. सूरीनाम 7. ट्रिनिडाड–टुबैगो 8. म्यांमार 9. भूटान 10. बहरीन 11. कुवैत 12. ओमान 13. कतर 14. सउफदी अरब गणराज्य 15. दक्षिण अप्रफीका 16. श्रीलंका आदि।' 'भारत से बाहर 165 विश्वविद्यालयों में हिंदी के अध्ययन–अध्यापन की व्यवस्था है और विदेशों का युवा समाज भारतीय संस्कृति एवं हिंदी को पढ़ने में रुचि लेता है।'

आज हिंदी कमजोर स्थिति में नहीं है। लगभग प्रत्येक कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले मैनुअल, पफॉर्म, संदर्भ और प्रक्रिफया साहित्य हिंदी में उपलब्ध हैं। हिंदी की इस सशक्तता के पीछे तकनीकी क्रफांति का बहुत बड़ा योगदान है। आज कंप्यूटर के अध्किांश कुंजीपटलों में तीन विकल्प उपलब्ध हैं–रेमिंगटन, इंस्क्रिफप्ट और एग्जीक्यूटिव। जो प्रयोक्ता रेमिंगटन आदि यांत्रिक टाइपराइटरों पर टाइप करने के अभ्यस्त हैं, वे रेमिंगटन विकल्प का चयन कर सकते हैं। इंस्क्रिफप्ट विकल्प से यही कुंजीपटल देवनागरी वर्णमाला पर आधरित ध्वन्यात्मक कुंजीपटल में परिणत हो जाता है। इससे कुंजियों का वर्णमाला के रूप में व्यवस्थित होने से टाइप करना आसान होता है और यदि एग्जीक्यूटिव विकल्प का चनय किया जाए, तो हिंदी शब्दों को अंग्रेजी की रोमन लिपि में टाइप किया जाता है जिसकी हिंदी अपने आप बन जाती है। यह विकल्प हिंदी में काम करने वालों को बड़ी सुविध दे रहा है। जैसे यदि 'आज' शब्द लिखना है तो

अंग्रेजी में ।।श्र लिखने पर, एंटर या स्पेस दबाने पर हिंदी में 'आज' हुआ मिलता है।

पहले हर भाषा के लिए अलग–अलग कुंजीपटलों की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन आज तकनीकी रूप से हम बहुत समृद्ध हो गए हैं। इससे सबसे अध्कि लाभ उन व्यक्तियों को मिला है जो एक साथ कई भाषाओं में काम करना चाहते हैं। विशेषज्ञों ने सभी भारतीय भाषाओं की लिपियों के लिए एक समन्वित कोड विकसित करने में बहुत बड़ी सपफलता पाई है। आज भारत की सभी लिपियों ;उर्दू को छोड़करद्ध का उद्गम ब्राह्मी लिपि है और सभी भारतीय भाषाओं की वर्णमालाओं का विन्यास लगभग समान है। यह ध्वनि पर आधरित होता है और इससे ध्वनियों के आधर पर ग्यारह भारतीय भाषाओं के समान ध्वनि वाले अक्षर टंकित हो जाते हैं। 'इसके आधर पर जो विकसित किया गया वह इस्की कोड ;प्दकपंद ैजंदकमतक ब्वकम वित प्दवितउंजपवद प्दजमतबींदहमद्ध कहलाता है और कुंजीपटल को ध्वन्यात्मक कुंजीपटल ;पफोनेटिक की–बोर्डद्ध कहते हैं। इस समय यह कोडिंग प्रणाली सी–डैक के जिस्ट ;ळप्ैज्द्ध, लीप ;स्म्।च्द्ध, इजम ;प्ैडद्ध आदि अनेक सॉफ्रटवेयरों में उपलब्ध् है। इस कोडिंग प्रणाली का एक लाभ यह है कि इससे भारतीय भाषाओं के बीच परस्पर लिप्यंतरण भी संभव है, जिसमें अंग्रेजी भी शामिल है।'

हॉलीवुड की अनेक पिफल्में हिंदी में डब हुई हैं, तो हमें अपनी भाषा पर गर्व होता है। भले ही इसके पीछे कंपनियों के व्यापार बढ़ाने की बात हो, लेकिन इससे हिंदी को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है और जन सामान्य की सहभागिता के लिए यह बहुत जरूरी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां दिन–प्रतिदिन अपने प्रचार–प्रसार के लिए हिंदी के जरिए आगे बढ़ रही हैं। उन्हें नित नए बाज़ारों की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए वे उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती हैं, जिन तक पहुंचने से उन्हें अपना उद्देश्य पूरा होता दिखता है। एक बड़े जनसमूह तक अपने उत्पाद पहुंचाने के लिए उनके विज्ञापन तक हिंदी में देखने को मिलते हैं।

कुछ क्षेत्राों में हिंदी को लेकर अनेक भ्रम हैं और इससे हमारी अपनी उफर्जा नष्ट होती है। देश में इस तरह के विभाजन हमेशा खतरनाक परिणाम देते हैं और अंततः हमारे सामने दूसरी तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं। यह सच है कि ज्ञान के लिए हमें दूसरी भाषाओं से जुड़ने का परहेज नहीं करना चाहिए। हमें जितनी भाषाएं सीखने के अवसर मिलें, सीखनी चाहिएं। अनेक भाषाओं के मूल साहित्य को पढ़कर ही हम क्षेत्रा विशेष के बारे में अध्कि गहराई से जान सकते हैं। प्रामाणिकता के लिए यह बहुत जरूरी भी है कि

मूल पाठ का ही अध्ययन किया जाए।

यह सुखद है कि हिंदी विश्व की तीसरी मुख्य भाषा के रूप में आगे बढ़ रही है, पर दुखद भी है कि आज 'हिंदी में सृजनात्मक और आलोचनात्मक साहित्य उच्च कोटि का है। लेकिन वैचारिक अनुशासनों में साहित्य की रचना पहले के मुकाबले कम हुई है। आज कोई बड़ा भारतीय इतिहासकार, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्राी, मनोवेत्ता आदि हिंदी में नहीं हैं या हिंदी क्षेत्रा से होंगे, लेकिन लिखते हिंदी में नहीं हैं।' इसके लिए हम सभी को अपनी संकुचित धरणा और भावना को छोड़ आगे आना होगा।

सहायक प्रोपफ़ेसर, हिंदी विभाग
हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
जांट–पाली, महेंद्रगढ़–123029

‘छात्र अध्ययन यात्रा’ के संदर्भ से हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में आनेवाले विद्यार्थी

1. एम.एम. जी. कन्या महाविद्यालय, सांगली (महाराष्ट्र)

1.	कु. हिना कौसर रियाज हकीम	बी.ए. तृतीय वर्ष
2.	कु. रोहिणी अप्यासो काटकर	बी.ए. तृतीय वर्ष
3.	कु. विजया परशराम रेणावीकर	बी.ए. तृतीय वर्ष
4.	कु. जाघव वर्षाराणी अर्जुन	बी.ए. तृतीय वर्ष
5.	कु. माली नम्रता मारुती	बी.ए. तृतीय वर्ष
6.	कु. स्वाती शिवानी सालुंखे	बी.ए. प्रथम वर्ष

2. बैंगलूर विश्वविद्यालय, बैंगलूर

1.	हुस्ना खानम एम	एम.ए. (हिंदी)
2.	वाणी कविराज गौडर	एम.ए. (हिंदी)
3.	पुष्पा पी. जन्नू	एम.ए. (हिंदी)
4.	विश्वनाथ सूर्यवंशी	एम.ए. (हिंदी)
5.	शैफाली वर्मा	एम.ए. (हिंदी)

3. मध्य कामरूप महाविद्यालय, बरपेटा (असम)

1.	आकिबुल इसलाम	बी.ए. द्वितीय सेमेस्टर
2.	मकिबुल खान	बी.ए. द्वितीय सेमेस्टर
3.	सद्दाम अहमद	बी.ए. चतुर्थ सेमेस्टर
4.	चंदना रथ	बी.ए. द्वितीय सेंमेस्टर
5.	तारा तालुकदार	बी.ए. चतुर्थ सेमेस्टर

4. जे. एस. एम. कॉलेज, अलीबाग

1.	कु. भाग्यश्री नरेश भोसल	बी.ए.
2.	कु. प्रियंका गुरव	बी.ए. तृतीय वर्ष
3.	कु. जुइली विलास नलावडे	बी.ए. तृतीय वर्ष
4.	कु. अस्मिता मंगेश जोशी	बी.ए. तृतीय वर्ष
5.	निलंश श्रीधर बालकर	बी.ए. तृतीय वर्ष

5. शिवाजी महाविद्यालय कोल्हापुर, महाराष्ट्र

1.	अक्षय राजेंद्र भोसले	एम.ए. द्वितीय वर्ष
2.	सुश्री स्मिता सदाशिव भोसले	एम.ए. द्वितीय वर्ष
3.	सुश्री कदम रसिका भाषकर	एम.ए. द्वितीय वर्ष
4.	सुश्री कोबले छकुली हरी	एम.ए. द्वितीय वर्ष
5.	करेणावर बसवराज रमेश	एम.ए. द्वितीय वर्ष

6. बी. शंकरानंद आट्र्स कॉलेज, कुडची 59131

1.	आरिफ जे. शेख	बी.ए. तृतीय वर्ष
2.	अमोल ए शिंदे	बी.ए. तृतीय वर्ष
3.	अजय एस. मडवालकर	बी.ए. प्रथम वर्ष
4.	राकेश के. कांबले	बी.ए. प्रथम वर्ष
5.	संपय कुमार ए. घाटगे	बी.ए. प्रथम वर्ष

7. जम्मू विश्वविद्यालय जम्मू

1.	नैन सिंह	एम.ए. (हिंदी)
2.	सचिन कुमार	एम.ए. (हिंदी)
4.	सुनील कुमार	एम.ए. (हिंदी)
5.	दामेश्वर सिंह	एम.ए. (हिंदी)
6.	किशोर कुमार	एम.ए. (हिंदी)

8. सर एम. बी. गवर्नमेंट आट्र्स एंड कामर्स कॉलेज, भद्रावती

1.	सुश्री मधुश्री टी	बी.ए. द्वितीय वर्ष
2.	सुश्री संगीता एस	बी.ए. द्वितीय वर्ष
3.	वी सुनील एस	बी.ए. द्वितीय वर्ष
4.	सुश्री श्वेता एम	बी.ए. द्वितीय वर्ष
5.	सुश्री ए. एलिजाबेथ	बी.ए. द्वितीय वर्ष
6.	सुश्री चैता ए.	बी.ए. द्वितीय वर्ष

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय,
जांट-पाली, महेंद्रगढ़ (हरियाणा)
www.cuharyana.org